हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2016

संख्या : 2/4/2013–4एफ. आर./1082.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकारी कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

अध्याय–I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे ।

लागूकरण की सीमा।

2. ये नियम, अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे–

(i) अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों;

(ii) सीमित अवधि के लिए केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा सरकार के अधीन विभाग में सेवा करने वाले कर्मचारियों।

टिप्पण 1.– अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हो, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले पर लागू होंगे।

टिप्पण 2.–अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

टिप्पण 3.– यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हो।

3. जब सक्षम अधिकारी की राय में, इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध किसी विशेष पद या सेवा की किन्हीं शर्तों के सन्दर्भ में अपेक्षित हों, कि प्राधिकारी, इन नियमों में दी गई किसी बात से अन्यथा होते हुए भी, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी मामले हेतु, जिसके संबंध में उस प्राधिकारी की राय में विशेष उपबन्ध किए जाने अपेक्षित हैं, ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उपबन्धित कर सकता है:

परन्तु नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में यह स्पष्ट किया जाएगा कि किसी मामले के संबंध में जहां नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के विशेष उपबन्ध नहीं बनाए गए हैं तो इन नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

अवकाश के दावे का विनियमन।

4. सरकारी कर्मचारी का, अवकाश के लिए दावा आवेदित तथा प्रदत्त अवकाश के समय पर लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा।

निर्वाचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।

5. इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट तथा संदेह दूर करने की शक्ति, वित्त विभाग में निहित होगी।

टिप्पण 1.– इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के संबंध में संसूचनाएं सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सम्बोधित की जाएंगी।

टिप्पण 2.– जहाँ वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले इन नियमों का कोई लागूकरण किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्ट कारक है, तो यह ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्ययीन, जैसे यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के संबंध में कार्यवाही करना आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से आदेश द्वारा अभिमुक्त कर सकता है या छूट दे सकता है।

अवकाश प्रदान करने हेतू सक्षम प्राधिकारी।

6. इन नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी को किसी किस्म का अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अनुसार कड़ाई से तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगाः–

(1) प्रशासकीय विभाग का पूर्व अनुमोदन, उन मामलों में प्राप्त किया जाएगा जहां अवकाश की स्वीकृति लम्बी छुट्टी के संयोजन में या के बिना, यदि कोई हो, निम्नलिखित शामिल होंः–

(i) सरकार का अतिरिक्त खर्च;

(ii) पद का सृजन; या

(iii) किसी प्रतिस्थानी के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को संदर्भ।

(2) विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी का अवकाश अपने मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(3) अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उनको अपनी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पर तथा ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अध्यधीन, जो वे अधिरोपित करना पसन्द करें उनके मुख्यालय पर उनके अधीन किसी राजपत्रित अधिकारी को इन नियमों में उनको प्रत्यायोजित शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन, कर सकते हैं। ऐसे आदेशों की प्रतियां सदैव प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा को पृष्ठांकित की जाएंगी।

कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेवारी।

7. एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारी की अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष को विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा। ग्रुप "क" तथा "ख" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट प्रशासकीय विभाग को भेजी जाएगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

8. पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम–I, भाग–I तथा पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम–I, भाग–II के परिशिष्ट 12, 17 तथा 20 में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों तथा इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व लागू इन नियमों के अनुरूप सभी नियम, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

———————

अध्याय–II
परिभाषाएं

9. (क) जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; परिभाषाएं।

(1) **''आकस्मिक अवकाश''** से अभिप्राय है, अवकाश जो किसी सरकारी कर्मचारी को अप्रत्याशित या अवसरिक अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रदान किया गया है। आकस्मिक अवकाश के दौरान, सरकारी कर्मचारी सभी प्रयोजनों हेतु ड्यूटी पर समझा जाएगा, बशर्ते अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है;

(2) ''**बालक दत्तक ग्रहण अवकाश''** से अभिप्राय है, किसी बालक के विधिक दत्तक ग्रहण पर किसी महिला सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अवकाश;

(3) ''**बालक देखरेख अवकाश''** से अभिप्राय है, केवल 18 वर्ष की आयु तक उसके दो बड़े जीवित बालकों की देखरेख करने के लिए सम्पूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष (अर्थात 730 दिन) की अवधि के लिए किसी महिला सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अवकाश;

(4) **''परिवर्तित अवकाश''** से अभिप्राय है, चिकित्सा आधार पर अथवा लोकहित में तकनीकी या वैज्ञानिक अध्ययनों के उच्चतर पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को अर्ध वेतन अवकाश के बदले में अनुज्ञेय अवकाश; परिवर्तित अवकाश का दुगना अर्धवेतन अवकाश के खाते में विकल्पित किया जाता है;

(5) चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर अवकाश के प्रयोजन हेतु **''सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी अस्पताल, औषधालय अथवा चिकित्सा उपचार के प्रयोजन हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निजी अस्पताल का कोई चिकित्सक जो चिकित्सा अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो। इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी सरकारी अस्पताल, औषधालय तथा अनुमोदित समरूप निजी अस्पताल (अस्पतालों) का चिकित्सक भी शामिल है। गैर–राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों हेतु, उपरोक्त के अतिरिक्त इसमें पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी भी शामिल है;

(6) अर्ध वेतन अवकाश प्रयोजन हेतु **''सेवा के पूर्ण वर्ष या एक वर्ष निरन्तर सेवा''** से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के अधीन किसी विनिर्दिष्ट अवधि की निरन्तर सेवा जिसमें असाधारण अवकाश सहित अवकाश तथा ड्यूटी के रूप में समझी गई सेवा की अवधि भी शामिल है;

(7) **''अर्जित अवकाश''** से अभिप्राय है, ड्यूटी पर व्यतीत की गई अवधि के संबंध में अर्जित अवकाश;

(8) **''अवकाश नकदीकरण हेतु परिलाभ''** से अभिप्राय है.–

(i) वास्तविक या अप्रयोगमूलक मूल वेतन जो भी अन्तिम नियत/पुनः नियत किया गया है;

(ii) उपरोक्त (i) पर अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता;

(iii) उच्चतर काल वेतनमान के बदले में विशेष वेतन;

(iv) वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो;

(v) डॉक्टरों तथा पशु चिकित्सकों को अनुज्ञेय गैर–व्यवसाय भत्ता बशर्ते वेतन जमा गैर–व्यवसाय भत्ता रूपये 79000/– से अधिक न हो;

(vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप में वर्गीकृत कोई अन्य राशि;

(9) **''असाधारण अवकाश''** से अभिप्राय है, अवकाश जिसके दौरान एक ही समय पर लिए गए अवकाश की अवधि के प्रथम 180 दिन तक आवास किराया भत्ता के सिवाए कोई अवकाश वेतन अनुज्ञेय नहीं है;

(10) **''अर्धवेतन अवकाश''** से अभिप्राय है, नियमित आधार पर कार्य कर रहे किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा के पूरे वर्ष के सम्बन्ध में अनुज्ञेय अर्जित अवकाश;

(11) **''मिशन अध्यक्ष''** से अभिप्राय है, राजदूत, कार्यप्रभारी मन्त्री, महा–कौन्सल, उच्चायुक्त या भारत सरकार द्वारा किसी देश में ऐसे रूप में घोषित किया गया कोई अन्य प्राधिकारी जिसमें सरकारी कर्मचारी अध्ययन पाठयक्रम या प्रशिक्षण लेता है ;

(12) **''अस्पताल अवकाश''** से अभिप्राय है, ऐसे ग्रुप ग तथा घ सरकारी कर्मचारियों, जिनकी ड्यूटियों में खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक सामग्रियां, जहरीली औषधियों के

रख–रखाव अथवा खतरनाक कार्य करना शामिल है, को बीमारी या चोट के लिए चिकित्सा उपचाराधीन अवधि में अनुज्ञेय अवकाश की किस्म बशर्ते ऐसी बीमारी या चोट उनकी सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए जोखिम के कारण प्रत्यक्ष रूप से होती है;

(13) **''अवकाश नकदीकरण''** से अभिप्राय है, समय–समय पर विहित दिनों की संख्या तक उपभोग न किए गए अर्जित अवकाश के बदले में नकद भुगतान, जो सरकारी कर्मचारी को या मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार को उसकी सेवा समाप्ति पर अनुज्ञात है, किन्तु सेवा से पदच्युति या हटाने की दशा में अनुज्ञेय नहीं है;

(14) **''अदेय अवकाश''** से अभिप्राय है, किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को अग्रिम में प्रदान किया गया अर्ध वेतन अवकाश जब उसके खाते में न तो अर्जित अवकाश और न ही अर्ध वेतन अवकाश है। यह बाद में अर्जित किए जाने वाले अर्ध वेतन अवकाश के खाते से घटाया जाएगा;

(15) **''सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा में उसकी सेवानिवृत्ति के दिन तक तथा सहित की अन्तिक उपभोग अवधि का लिया गया 180 दिन तक का अर्जित अवकाश तथा/या अर्ध वेतन अवकाश;

(16) **''अवकाश वेतन''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश पर रहने की अवधि के लिए वेतन तथा भत्तों के बदले में उसे भुगतान की गई राशि;

(17) **''अवकाश''** से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति से ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि। इसमें अर्जित अवकाश, अर्ध–वेतन अवकाश, असाधारण अवकाश, परिवर्तित अवकाश, अदेय अवकाश, टर्मिनल अवकाश, प्रसूति अवकाश, बालक दत्तक ग्रहण अवकाश, बालक देखभाल अवकाश, पैतृत्व अवकाश, अस्पताल अवकाश, विशेष अशक्तता अवकाश, अध्ययन अवकाश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश के रूप में घोषित किसी अन्य प्रकार की प्राधिकृत अनुपस्थिति भी शामिल है;

टिप्पण.– इसमें आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा संगरोध अवकाश शामिल नहीं है;

(18) अर्जित अवकाश की संगणना के लिए **"सेवाकाल"** से अभिप्राय है, असाधारण अवकाश तथा छंटनी के परिणामस्वरूप हुए अवरोध की अवधि सहित किसी वेतनमान में निरन्तर सेवा;

(19) **"प्रसूति अवकाश"** एक प्रकार का अवकाश है जो किसी महिला सरकारी कर्मचारी को शिशु प्रसूति के लिए छः मास की अवधि हेतु अनुज्ञेय होता है। यह गर्भपात सहित गर्भस्राव की दशा में पैंतालीस दिन तक की अवधि के लिए भी अनुज्ञेय है, किन्तु आशंकित गर्भपात में नहीं;

(20) **''संगरोध अवकाश''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को उस समय प्रदान किया जाने वाला अवकाश जब वह या उसके परिवार का कोई सदस्य प्रयोजन के लिए विहित संक्रामक रोग (रोगों) से ग्रस्त है। सरकारी कर्मचारी को संगरोध अवकाश की अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाता है;

(21) **''विशेष अशक्तता अवकाश''** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अवकाश, जो अपनी सरकारी ड्यूटी को सम्यक् रूप से करने के कारण या अपनी सरकारी हैसियत के परिणाम स्वरूप जानबूझकर पंहुचाई गई या लगी चोट से अशक्त हो जाता है;

(22) **"अध्ययन अवकाश"** से अभिप्राय है, वैज्ञानिक, तकनीकी अध्ययन या लोकहित में विशेष कोर्स शिक्षण जिसका उसके कार्य क्षेत्र से सीधा संबंध हो के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अवकाश;

(23) **"सेवान्त अवकाश"** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवाएं पद की समाप्ति के कारण समाप्त की गई है, को देय अर्जित अवकाश तथा/या अर्ध वेतन अवकाश;

(24) **"लम्बी छुट्टी"** से अभिप्राय है, छुट्टियों की अवधि जिसके दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन किसी सरकारी कर्मचारी को लम्बी छुट्टी लेने के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने हेतु अनुज्ञात किया जाता है। जब तक इस संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता, लम्बी छुट्टी को ड्यूटी के रूप में गिना जाता है, तथा छुट्टी के रूप में नहीं;

(ख) इस अध्याय में नहीं परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित किए गए शब्दों का अर्थ इन नियमों के लिए वही होगा।

———————

अध्याय–III
अवकाश को आगे ले जाना या पिछली सेवा का लाभ

पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अवकाश को आगे ले जाना।

10. (1) हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर–

हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अवकाश के प्रयोजन के लिए अवकाश को आगे ले जाने तथा/या पिछली सेवा की गणना का लाभ अनुज्ञेय होगा बशर्ते कि पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के लिए आवेदन उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे मामलों में यदि सरकारी कर्मचारी को पश्चात्वर्ती नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व सेवा से पद त्याग करना अपेक्षित है, ऐसा त्यागपत्र उसके जमा अवकाश की समाप्ति का परिणाम नहीं होगा तथा उसकी सेवा अवकाश के प्रयोजन के लिए निरन्तर समझी जाएगी। यदि यहां विभिन्न स्टेशनों पर हुई दो नियुक्तियों के कारण कोई विराम (बाधा) है, तो ऐसा विराम (बाधा) यात्रा अवधि से अनधिक औपचारिक माफी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शामिल किया जाएगा।

(2) सेवा समाप्ति या अशक्तिकरण के बाद पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर.–

सरकारी कर्मचारी की पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर–

(i) पद की समाप्ति या रिक्ति की कमी के कारण; या

(ii) स्थाई रूप से अशक्त होने के कारण सेवा से निवृत किया गया हो,

उसकी पिछली सेवा अर्जित अवकाश की गणना के प्रयोजन के लिए सेवाकाल में शामिल की जाएगी बशर्ते कि सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया गया हो। तथापि, यह उपबन्ध हरियाणा सरकार के किसी विभाग में, हरियाणा सरकार के अधीन संगठन के फालतू कर्मचारियों के समायोजन/समावेशन पर लागू नहीं होगा।

(3) हरियाणा सरकार के विभाग से संगठन में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर–

हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग से किसी संगठन या विलोमतः दोनों में सरकारी कर्मचारी की पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, किसी किस्म के अवकाश को आगे ले जाने की रियायत अनुज्ञेय नहीं होगी, तथा राज्य सरकार कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी। तथापि, उसके त्यागपत्र की स्वीकृति पर, जमा अर्जित अवकाश को भुनाने का लाभ इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञेय होगा। जमा अर्ध–वेतन अवकाश जब्त हो जाएगा। अर्जित अवकाश के परिकलन के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा की गणना का लाभ अनुज्ञेय होगा; बशर्ते पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के लिए आवेदन उचित माध्यम द्वारा किया गया हो।

टिप्पण.–यह उपबन्ध किसी संगठन में सरकारी कर्मचारी के समावेशन के मामले में भी लागू होगा।

(4) किसी अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर.–

किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन या केन्द्रीय सरकार से हरियाणा सरकार के किसी विभाग में पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर, अवकाश को आगे ले जाने का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा। तथापि, अर्जित अवकाश की गणना करने के लिए सेवा की लम्बाई के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा की गणना का लाभ हिसाब में लिया जाएगा; बशर्ते आवेदन पश्चात्वर्ती नियुक्ति के पद के लिए उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

टिप्पण 1.– जहाँ पिछली सेवा का लाभ अर्जित अवकाश के परिकलन करने के प्रयोजन हेतु गणना किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, तो ऐसे लाभ की कलैण्डर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश की पात्रता के लिए भी गणना की जाएगी।

टिप्पण 2.– अर्जित अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश के परिकलन करने के प्रयोजन के लिए पिछली सैनिक सेवा की गणना का लाभ हरियाणा सरकार के किसी विभाग में भूतपूर्व सैनिक की पश्चातवर्ती नियुक्ति पर भी अनुज्ञेय होगा।

———————

अध्याय–IV

सामान्य शर्तें

सामान्य शर्तें।

11. (1) अवकाश को अधिकार के रूप में दावाकृत नहीं किया जा सकता।

(2) सरकारी कर्मचारी, अपवादिक परिस्थितियों के सिवाए, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अवकाश पर अग्रसर होगा।

(3) जब सरकारी सेवा की अत्यावश्यकता इस प्रकार अपेक्षित हो, तो छुट्टी या किसी किस्म के अवकाश को इनकार करने, रद्द करने या से वापस बुलाने का विवेक, इसे प्रदान करने वाले सशक्त प्राधिकारी के पास आरक्षित होगा।

(4) सरकारी कर्मचारी को देय तथा आवेदित अवकाश के स्वरूप को स्वीकृत प्राधिकारी के विकल्प पर बदला नहीं जाएगा। यद्यपि इन नियमों के अधीन देय तथा आवेदित अवकाश को अस्वीकृत या रद्द करना, स्वीकृति अधिकारी के लिए खुला होगा, ऐसे अवकाश की प्रकृति को बदलना स्वीकृति प्राधिकारी के लिए खुला नहीं है।

(5) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करना, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अपने आप अवकाश का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। अवकाश प्रदान करने के लिए प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा तथा प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी।

(6) सरकारी कर्मचारी जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से स्वयं अनुपस्थित रहता है, तो अपनी अनुपस्थिति, जानबूझकर अनुपस्थिति के रूप में समझी जाने के लिए दायी है।

(7) अवकाश पर अग्रसर होने से पूर्व प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अवकाश के अपने आवेदन पर, दूरभाष संख्या, ई–मेल आई.डी. तथा पता अभिलिखित करना चाहिए। पश्चात्वर्ती परिवर्तन, यदि कोई हो, भी कार्यालय को सूचित करना होगा।

(8) कोई भी सरकारी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, आकस्मिक अवकाश, छुट्टियों या किसी अन्य किस्म के अवकाश के दौरान अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

अवकाश का एक किस्म से दूसरी में परिवर्तन।

12. (1) सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को अवकाश प्रदान करने के लिए क्रमशः एक किस्म से दूसरी किस्म में, पूर्व प्रभावी रूप से, परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते–

(i) ऐसी किस्म के अवकाश, जिनको वह परिवर्तित करने का इरादा करता है, उस दिन उसको देय था, तथापि, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता; तथा

(ii) किसी भी ऐसे निवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक यह अवकाश से वापसी पर ड्यूटी ग्रहण करने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता।

(2) अवकाश की एक किस्म से दूसरी में परिवर्तन, सरकारी कर्मचारी को अन्तिम रूप से प्रदान अवकाश के आधार पर, अवकाश वेतन के समायोजन के अध्यधीन होगा। उसको भुगतान की गई कोई अधिक राशि वसूल की जाएगी या उसको देय किन्ही बकायों का भुगतान किया जाएगा।

टिप्पण 1.– एक किस्म से दूसरी में अवकाश का परिवर्तन कर्मचारी की सेवा की समाप्ति के बाद अनुज्ञात नहीं होगा।

टिप्पण 2.– नियम 40 के अधीन असाधारण अवकाश के रूप में समझी गई जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि को अवकाश की दूसरी किस्म में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

लगातार अवकाश की अधिकतम मात्रा।

13. जब तक मामले की अपवादिक परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी अन्यथा अवधारण नहीं करता, तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी को पांच वर्ष से अधिक लगातार अवधि के लिए किसी किस्म का अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। लगातार पांच वर्ष से अधिक समय की अनधिकृत अनुपस्थिति में सेवा से त्याग–पत्र समझा जाएगा।

अवकाश लेखा पर पदच्युति, हटाए जाने, त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति का प्रभाव।

14. इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाए, सरकारी कर्मचारी के जमा अवकाश के लिए कोई दावा, जो पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया है, सेवा समाप्त कर दी गई है, सेवानिवृत्त हो गया है या जो सरकारी सेवा से त्यागपत्र देता है, तो ऐसी पदच्युति, हटाए जाने, सेवा समापन, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से समाप्त हो जाएगा। तथापि, सेवा से पदच्युति या हटाए जाने के बाद अपील या अन्यथा पर बहाली के मामलों में, वह अवकाश के प्रयोजन के लिए पदच्युति या हटाने, जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व की गई सेवा को हिसाब में लेने के लिए हकदार होगा।

15. (1) सामान्यतः अवकाश दिन, जिसको प्रभार का अन्तरण प्रभावी होता है, से प्रारम्भ तथा पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होता है, जिसको प्रभार पुनः ग्रहण किया गया है। अवकाश का प्रारम्भ तथा समाप्ति।

(2) जब भारत के बाहर अवकाश से वापसी पर सरकारी कर्मचारी को कार्यग्रहण समय अनुज्ञात किया गया है, तो उसके अवकाश का वह अन्तिम दिन होगा जिस दिन वह यात्रा के किसी साधन द्वारा भारत के किसी स्थान पर पहुंचता है।

16. यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापिस बुलाया गया है, तो ड्यूटी के लिए ऐसे बुलावे को सभी मामलों में अनिवार्यता के रूप में समझा जाएगा तथा सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित के लिए पात्र होगाः– अवकाश के समय सरकारी कर्मचारी को वापिस बुलाना।

(क) यदि उसे भारत में अवकाश से वापिस बुलाया गया है, तो तिथि, जिसको वह स्टेशन के लिए चलता है, जिसके लिए उसे आदेश दिए गए हैं, से ड्यूटी पर माना जाने तथा निम्नलिखित प्राप्त करने के लिएः–

(i) इस निमित्त की गई यात्रा के लिए नियमों के अधीन अनुज्ञेय यात्रा भत्ता; तथा

(ii) जब तक वह अपने पद पर कार्यग्रहण नहीं करता, तब तक उसी दर पर अवकाश वेतन लेता रहेगा, जितना वह ड्यूटी पर वापिस न बुलाए जाने पर प्राप्त करता;

(ख) यदि अवकाश, जिससे उसे भारत के बाहर से वापिस बुलाया गया है, भारत की यात्रा करने में खर्च समय अवकाश की गणना करने तथा निम्नलिखित प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, ड्यूटी के रूप में गिना जाना है–

(i) भारत की यात्रा के दौरान तथा भारत में पहुंचने की तिथि से अपने पद का कार्यग्रहण करने की तिथि तक की अवधि के लिए अवकाश वेतन उसी दर पर, जिस पर, वह ड्यूटी पर वापसी से अन्यथा उसे प्राप्त करता;

(ii) भारत के लिए मुफ्त यात्रा;

(iii) भारत से यात्रा किराया की वापसी, यदि उसे वापिस बुलाने की स्थिति में, भारत के लिए प्रस्थान करने की तिथि तक अपने अवकाश की आधी अवधि या तीन मास, जो भी कम हो, पूरी नहीं की है;

(iv) तत्समय लागू नियमों के अधीन भारत में पहुंचने के स्थान से ड्यूटी के स्थान तक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।

टिप्पण.– सभी मामलों में अवकाश/छुट्टी पर सरकारी कर्मचारी को वापिस बुलाने के आदेश अवकाश आवेदन में वर्णित पते/ईमेल आईडी तथा सम्पर्क नम्बर पर उसको संसूचित किए जाने चाहिए।

17. (1) अवकाश पर सरकारी कर्मचारी उसको प्रदान किए गए अवकाश की अवधि की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे प्राधिकारी, जिसने उसे अवकाश प्रदान किया है, द्वारा ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी।

(2) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर अग्रसर व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी की सहमति के सिवाए ड्यूटी पर वापसी के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

18. (1) अवकाश से वापस आने वाला सरकारी कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी को लिखित में अपनी पहुंचने की रिपोर्ट देगा। अवकाश से वापसी पर पहुंच रिपोर्ट।

(2) अवकाश से वापस आने वाला सरकारी कर्मचारी, इस प्रभाव के विशिष्ट आदेश के अभाव में, प्रक्रिया के मामले के अनुसार, पद, जिस पर वह अवकाश पर जाने से पूर्व कार्य कर रहा था पुनः प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है। उसे ड्यूटी पर अपनी वापसी की रिपोर्ट करनी चाहिए तथा आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

19. (1) सरकारी कर्मचारी, जो अपने अवकाश की समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए अवकाश वेतन का हकदार नहीं है, उसे तब तक जानबूझकर अनुपस्थित समझा जाएगा जब तक उसका अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत नहीं किया गया है। अवकाश से अधिक रुकना तथा जानबूझकर अनुपस्थिति।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी स्वयं अचानक अनुपस्थित रहता है या अवकाश के लिए आवेदन करता है, जिसे सेवा की आवश्यकता में अस्वीकार किया गया है और फिर भी वह ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो अनुपस्थिति की सम्पूर्ण अवधि जानबूझकर अनुपस्थिति के रूप में

समझी जाएगी।

(3) ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति, सरकारी कर्मचारी को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई के लिए दायी बनाती है तथा यह सेवा में अवरोध होगी, जिससे पिछली सेवा पेंशन के लिए ज़ब्त हो जाएगी।

अवकाश के दौरान रोजगार की स्वीकार्यता।

20. साधारणतः अवकाश के समय सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना निजी व्यावसायिक पेशे (जैसे कि लेखाकार, परामर्शदाता, विधिक या चिकित्सा व्यवसायी) की स्थापना सहित कोई सेवा नहीं लेगा या रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

टिप्पण.– यह नियम नैमित्तिक साहित्यिक कार्य या परीक्षक या समरूप रोजगार के रूप में सेवा को लागू नहीं होता।

अध्याय–V

अवकाश वेतन

अवकाश के समय अवकाश वेतन।

21. (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, अर्जित अवकाश, परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश, बालक दत्तकग्रहण अवकाश, बालक देखभाल अवकाश तथा पितृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर अग्रसर होने से ठीक पूर्व, प्राप्त पारिश्रमिक जमा समय–समय पर लागू दर पर मंहगाई भत्ते के बराबर अवकाश वेतन अनुज्ञेय होगा। इस, वेतन बैण्ड में वेतन, ग्रेड वेतन, मंहगाई वेतन, उच्चतर काल वेतनमान के बदले में विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, गैर व्यवसाय भत्ता तथा मंहगाई भत्ता शामिल हैं। तथापि, अर्धवेतन अवकाश या अदेय अवकाश के दौरान अवकाश पर अग्रसर होने से ठीक पूर्व प्राप्त परिलाभ जमा समय–समय पर लागू दर पर मंहगाई भत्ते के आधे के बराबर अवकाश वेतन अनुज्ञेय होगा। मकान किराया भत्ता अवकाश पर अग्रसर होने से ठीक पूर्व प्राप्त परिलाभ पर अनुज्ञेय होगा। अन्य भत्ते सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

(2) असाधारण अवकाश की अवधि के दौरान एक सौ अस्सी दिन तक मकान किराया भत्ते के सिवाए कोई भी अवकाश वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा।

(3) अवकाश वेतन केवल भारत के रुपयों में प्राप्त होगा।

टिप्पण 1.– स्वीपर के लिए विशेष भत्ता, अर्जित अवकाश के समय पर पूर्ण दर पर तथा अर्धवेतन अवकाश के समय आधी दर पर अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 2.– प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ता, अवकाश वेतन सहित अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 3.– भारत के बाहर विदेश सेवा की अवधि के दौरान, अवकाश वेतन के प्रयोजन के लिए परिलाभ वही होगें, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाते यदि वह भारत के बाहर विदेश सेवा में नहीं होता।

———————

अध्याय–VI
अवकाश प्रदान करना

अवकाश के लिए आवेदन।

22. अवकाश के लिए, या अवकाश के विस्तार के लिए आवेदन, अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से ऐसे अवकाश को प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुबन्ध–1 पर विहित प्ररूप में जो इन नियमों के साथ संलग्न, में किया जाएगा।

भारत में विदेश सेवा में सरकारी कर्मचारी उधारयाची नियोजक के माध्यम से अपने पैतृक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अवकाश के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

अवकाश किसे दिया जा सकता है।

23. यदि, जहां बहुत से सरकारी कर्मचारी उसी स्थापना में अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से भिन्न) के लिए आवेदन करते हैं तथा सरकारी सेवा के हित में सभी ऐसे कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, तो अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखने के बाद ऐसे अवकाश को प्रदान करने के लिए निर्णय लेगाः–

(क) सरकारी कर्मचारी जिसके बिना आसानी से काम चलाया जा सकता है;

(ख) आवेदकों को देय अवकाश की मात्रा;

(ग) आवेदक द्वारा अवकाश से उसकी अन्तिम वापसी के बाद की गई सेवा की मात्रा तथा स्वरूप;

(घ) तथ्य, कि किसी ऐसे आवेदक को पिछले अवकाश के दौरान अनिवार्य रूप से वापिस बुलाया गया हो;

(ङ) तथ्य, कि किसी ऐसे आवेदक का लोक हित में अवकाश अस्वीकृत किया गया हो।

अवकाश प्रदान करने से पूर्व पात्रता का सत्यापन।

24. आपात्काल में मांगा गया अवकाश जिसके अस्वीकार्य होने के परिणामों की जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारी की होगी, को छोड़कर, सरकारी कर्मचारी को अवकाश की पात्रता बारे, कार्यालयाध्यक्ष, जिसमें वह नियोजित है या यदि वह स्वयं कार्यालयाध्यक्ष है, तो उसके अगले उच्चाधिकारी से, रिपोर्ट प्राप्त किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा।

निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को अवकाश।

25. सरकारी कर्मचारी, जो निलम्बनाधीन है, को आकस्मिक अवकाश सहित किसी किस्म का अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि वह मुख्यालय से स्वयं अनुपस्थित रहना चाहता है, तो उसे अनुपस्थिति की अवधि के लिए केवल स्टेशन अवकाश के लिए आवेदन करना होगा।

टिप्पण 1.– निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा उपचार में व्यतीत अवधि को निलम्बन के अधीन व्ययतीत की गई, के रूप में समझा जाएगा तथा इन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय गुजारा भत्ता उस अवधि के लिए दिया जाएगा। बहाली पर, यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि इसे नियमों के उपबन्धों के सन्दर्भ में "ड्यूटी" या "नान–ड्यूटी" के रूप में समझा जाना है या नहीं, जब तक सम्बन्धित कर्मचारी नहीं चाहता है कि इसे देय तथा अनुज्ञेय अवकाश की किस्म में परिवर्तित किया जाए।

टिप्पण 2.– यदि निलम्बन अवधि को सरकारी कर्मचारी की सहमति से अवकाश की देय किस्म के रूप में समझा गया है, तो असाधारण अवकाश सहित उसके खाते में जमा अवकाश की किसी किस्म की, किसी सीमा तक की स्वीकृति के लिए उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। असाधारण अवकाश की अवधि को किसी प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझा जाएगा।

कतिपय परिस्थितियों में अवकाश प्रदान न किया जाना।

26. सरकारी कर्मचारी, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने सरकारी सेवा से पदच्युत, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया है, को अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

अवकाश के लेखे का अनुरक्षण।

27. सरकारी कर्मचारी का अवकाश लेखा निम्नलिखित प्ररूप में अनुरक्षित किया जाएगा, जो सेवापंजी का भाग है :

प्ररूप–1 अर्जित अवकाश लेखे का प्ररूप

प्ररूप–2 अर्धवेतन अवकाश लेखे का प्ररूप

प्ररूप–3 मातृत्व अवकाश तथा बालक दतकग्रहण अवकाश या पितृत्व अवकाश का प्ररूप

प्ररूप–4 बालक देखभाल अवकाश लेखे का प्ररूप

प्ररूप 5 असाधारण अवकाश या अवकाश की किसी अन्य किस्म का प्ररूप

(2) सरकारी कर्मचारी का अवकाश लेखा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जिसमें वह नियोजित है, या यदि वह स्वयं कार्यालयाध्यक्ष है, तो उसके अव्यवहित वरिष्ठ द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

टिप्पण.– प्ररूप के नमूने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 देखें।

****

अध्याय–VII
अवकाश के साथ संयोजन

छुट्टियों तथा अवकाश का संयोजन।

28. (1) अवकाश के साथ छुट्टी का संयोजन.–

अवकाश स्वीकृति अधिकारी, रविवार (रविवारों) तथा अन्य मान्यताप्राप्त छुट्टियों या लम्बी छुट्टी को अवकाश के प्रारम्भ में लगाने या अवकाश के पीछे लगाने या अवकाश के प्रारम्भ तथा पीछे दोनों में लगाने के लिए इन नियमों में अधिकथित परिस्थितियों में तथा शर्तों पर अनुमति दे सकता है।

(2) चिकित्सा प्रामाण–पत्र पर अवकाश के मामले में अवकाश के साथ छुट्टी (छुट्टियों) का संयोजन.–

(क) जब सरकारी कर्मचारी कार्यालय में हाजिर होने में चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ प्रमाणित किया गया है, छुट्टी (छुट्टियाँ), यदि कोई हो, के ठीक पूर्व दिन को, जिसको उसे इस प्रकार प्रमाणित किया गया है स्वतः अवकाश के प्रारम्भ में लगाया जाना अनुज्ञात होगा तथा छुट्टी (छुट्टियाँ), यदि कोई हों के ठीक उतरवर्ती दिन को, जिसको उसे इस प्रकार प्रमाणित (उस दिन सहित) किया गया है, को अवकाश का भाग समझा जाएगा।

(ख) जब सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी ग्रहण करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट प्रमाणित किया जाता है, छुट्टी (छुट्टियाँ), यदि कोई हों, उतरवर्ती दिन को जिसको उसे इस प्रकार प्रमाणित (उस दिन सहित) किया गया है, स्वतः अवकाश के पीछे लगाया जाना अनुज्ञात होगा, तथा छुट्टी (छुट्टियाँ), यदि कोई हों, के पूर्व दिन को, जिसको उसे इस प्रकार प्रमाणित किया गया है, अवकाश के भाग के रूप में समझा जाएगा।

(3) अवकाश की विभिन्न किस्मों का संयोजन.–

इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का अवकाश किसी अन्य किस्म के अवकाश के संयोजन या की निरन्तरता में प्रदान किया जा सकता है।

टिप्पण 1.– आकस्मिक अवकाश, लघु आकस्मिक अवकाश या संगरोध अवकाश, जो इन नियमों के अधीन अवकाश के रूप में मान्य नहीं है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य किस्म के अवकाश के साथ संयोजित नहीं की जाएगी।

टिप्पण 2.– मूलभूत सिद्वान्त है कि दो सरकारी कर्मचारी एक पद पर एक समय में ड्यूटी पर नहीं हो सकते, इसलिए, जब सरकारी कर्मचारी को अवकाश पर अग्रसर होने के लिए छुट्टी के ठीक पूर्व दिन से अपराह्नन को प्रभार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है, तो वेतन तथा भत्ते की किसी अनुवर्ती पुनः व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती जब तक सक्षम प्राधिकारी किसी मामले में दूसरे को छुट्टी के बाद प्रथम दिन से प्रभावशील होने के लिए निर्देश नहीं देता। उसी प्रकार, अवकाश से वापसी पर उत्तराधिकारी के वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, की हकदारी, दिन जिसको अवकाश समाप्त होगा, से समाप्त हो जाएगी यदि छुट्टियाँ पीछे जोड़ी नहीं गई थीं।

टिप्पण 3.– जहां अवकाश में छुट्टियों को आगे तथा पीछे लगाने के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमों का लागूकरण सन्देहपूर्ण या अनुचित है, तो विभागाध्यक्ष निर्णय करेगा कि कौन से सरकारी कर्मचारी को प्रभारी अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा किसको छुट्टी के लिए पद के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

अवकाश के साथ (लम्बी) छुट्टी का संयोजन।

29. (1) लम्बी छुट्टी विंग के सरकारी कर्मचारी को अवकाश लम्बी छुट्टी के प्रारम्भ में या पीछे लगाने के लिए या निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अवकाश की दो अवधियों के बीच संयोजित करना अनुज्ञात कर सकता है:–

(i) कि संयोजन में ली गई लम्बी छुट्टी तथा अर्जित अवकाश की कुल अवधि इन नियमों के अधीन उस समय सरकारी कर्मचारी को देय तथा अनुज्ञेय अर्जित अवकाश की मात्रा से अधिक नहीं होगी; तथा

(ii) वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन उन मामलों में प्राप्त किया जाएगा जहां अवकाश के साथ लम्बी छुट्टी के संयोजन से सरकार का अतिरिक्त खर्च होना है।

टिपण्ण 1.– अवकाश तथा लम्बी छुट्टी के बीच पड़ने वाली मान्यताप्राप्त छुट्टियां विलोमतः लम्बी छुट्टी का भाग समझा जाएगा तथा ऐसी मान्यताप्राप्त छुट्टियों को किसी एक समय में सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अर्जित

अवकाश की अधिकतम मात्रा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, हिसाब में लिया जाएगा।

टिपण्णी 2.– आकस्मिक अवकाश को लम्बी छुट्टी के आगे या पीछे लगाया जाना भी अनुज्ञात किया जा सकता है।

(2) जब किसी सरकारी कर्मचारी को लम्बी छुट्टी का अवकाश के प्रारम्भ में लगाना अनुमत किया जाता है, तो वह मुख्यालय छोड़ने से पूर्व रिपोर्ट करेगा कि वह लम्बी छुट्टी की समाप्ति तक प्रभार हस्तांतरित करेगा, तथा प्रभार लेने वाला सरकारी कर्मचारी तब प्रभार लेगा, तथा अवकाश और वेतन की कोई उतरवर्ती पुनः व्यवस्था लम्बी छुट्टी की समाप्ति से प्रभावी होगी।

(3) जब किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश जिसे छुट्टी के पीछे लगाने के लिए अनुमत किया गया है, तो भारमुक्त किया जाने वाला सरकारी कर्मचारी अवकाश से पूर्व प्रभार देगा, तथा वेतन की कोई परिणामस्वरूप पुनः व्यवस्था अवकाश के प्रारम्भ से प्रभावी होगी।

(4) यदि छुट्टी से वापिस बुलाने पर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करता है तथा प्रतिस्थानी उसके स्थान पर तैनात किया गया है, तो छुट्टी का तत्सम भाग, अवकाश के रूप में समझा जाएगा, जिसके दौरान प्रतिस्थानी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता ळें

अध्याय–VIII

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश

चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर अवकाश प्रदान करना।

30. चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्रदान करने तथा अवकाश के विस्तार के लिए आवेदन की प्रस्तुति से पूर्व, सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित प्ररूप में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा तथा अपने आवेदन के साथ उसे संलग्न करेगाः–

चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रोफार्मा

आवेदक का नाम .....

पदनाम .....

कार्यालय .....

आयु .....

मैं, ... (सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम) सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत जांच के बाद प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमति ..... बीमारी .... से पीड़ित है तथा खराब स्वास्थ्य की स्थिति में है; तथा मैं सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम व्यावसायिक विचार के अनुसार, ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है तथा सिफारिश की जाती है कि उसे दिनांक .....से ..... तक अवकाश प्रदान किया जाए। मेरी राय में सरकारी कर्मचारी के लिए चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होना आवश्यक है/नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की उपस्थिति में

सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(मोहर तथा तिथि सहित)

टिप्पण 1.– राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामलों में, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या रजिस्टर्ड नम्बर रखने वाले निम्नलिखित में से किसी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकता हैः–

(क) आर्युवैदिक, यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी;

(ख) दाँतों की बीमारी के मामले में दन्तचिकित्सक; या

(ग) अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी;

टिप्पण 2.– इस प्रमाण पत्र में अन्तर्विष्ट कोई भी सिफारिश किसी अवकाश के दावे का सबूत नहीं होगी, जो सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति या नियमों, जिसके वह अधीन है, के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञेय नहीं हैं।

टिप्पण 3.– यह प्ररूप यथा सम्भव ध्यानपूर्वक साथ लगाना चाहिए तथा आवेदक के हस्ताक्षर लेने के बाद भरना चाहिए। प्रमाणकर्ता अधिकारी यह प्रमाणित करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है कि आवेदक किसी विशेष स्थान से या में परिवर्तन की उपेक्षा करता है। ऐसा प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रशासकीय प्राधिकारी की केवल सुस्पष्ट इच्छा पर दिया जाएगा, जिसके लिए यह निर्णय के लिए खुला है, जब ऐसे आधारों पर आवेदन उस द्वारा किया गया है, कि क्या आवेदक सेवा के लिए उसकी उपयुक्तता के प्रश्न का निर्णय करने के लिए चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख जाएगा।

टिप्पण 4.– चिकित्सा आधारों पर अवकाश लेने के बाद सरकारी कर्मचारी को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले विहित प्ररूप में उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) चिकित्सा प्राधिकारी को किसी ऐसे मामले में, जिसमें कोई युक्तियुक्त लक्षण न दिखाई देते हों कि सम्बन्धित कर्मचारी अपने ड्यूटी को पुनः ग्रहण करने में कभी फिट होगा, अवकाश प्रदान करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जिन मामलों में राय है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा के लिए स्थाई रूप से अनुपयुक्त है, चिकित्सा प्रमाण पत्र में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) ऐसे मामलों, में जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लगातार तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अवकाश लिया गया है परन्तु वह अन्तरंग उपचार नहीं करवा रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होने के लिए निर्देश दे सकता है।

सरकारी कर्मचारी को अवकाश प्रदान करना जो ड्यूटी पर वापसी के लिए फिट किए जाने के लिए असम्भाव्य है।

31. जब चिकित्सा बोर्ड ने रिपोर्ट की है कि कोई भी युक्तियुक्त लक्षण नहीं है कि विशिष्ट सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर वापसी के लिए कभी फिट होगा, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी का अवकाश अनिवार्य रूप से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर यह प्रदान किया जा सकता है, यदि देय है :–

(क) यदि चिकित्सा बोर्ड निश्चितता से कहने में असमर्थ है कि सरकारी कर्मचारी सेवा के लिए कभी पुनः फिट होगा, तो कुल बारह मास से अनधिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। ऐसा अवकाश चिकित्सा बोर्ड को आगामी संदर्भ किए बिना विस्तृत नहीं किया जाना चाहिए; या

(ख) यदि चिकित्सा बोर्ड सरकारी कर्मचारी को आगामी सेवा के लिए पूर्णरूप से तथा स्थाई रूप से अशक्त के रूप में घोषित करता है, तो उसे नीचे खण्ड (ग) में; तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 47 में यथा उपबन्धित के सिवाए, या तो उसको पहले प्रदान किए गए अवकाश की समाप्ति से, या बोर्ड द्वारा जांच किए गए दिन से यदि वह अवकाश पर है, या बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि से यदि वह अवकाश पर नहीं है, सेवा से अशक्त किया जाएगा।

व्याख्या.– निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 1), की धारा 2 के खण्ड (i) में यथा परिभाषित "अशक्तता" से अभिप्राय है–

(i) अंधापन;
(ii) निम्न दृष्टि;
(iii) कुष्ठरोग अभिसाधित;
(iv) श्रवणशक्ति क्षति;
(v) गति–विषयक अशक्तता;
(vi) मानसिक बाधा;
(vii) मानसिक अस्वस्थता।

(ग) चिकित्सा बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से तथा स्थाई रूप से अशक्त के रूप में घोषित सरकारी कर्मचारी को, विशेष मामलों में, छः मास से अनधिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, या अवकाश का विस्तार किया जा सकता है, यदि ऐसा अवकाश उसको देय है।

द्वितीय चिकित्सा राय।

32. अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक पर, आवेदक को चिकित्सकीय रूप से परीक्षित करने के लिए सिविल सर्जन से अनुरोध करते हुए द्वितीय चिकित्सा राय प्राप्त कर सकता है। प्रथम चिकित्सा राय की प्राप्ति के बाद निर्णय यथासंभव शीघ्रता से लिया जाएगा।

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से वापसी।

33. सरकारी कर्मचारी, जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया है, निम्नलिखित प्ररूप में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी या चिकित्सा बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक ड्यूटी पर वापस नहीं आ सकता है :–

"मैंने/हमने..... चिकित्सा अधिकारी/एस एम ओ/पी.एम ओ/सिविल सर्जन/चिकित्सा बोर्ड के सदस्य इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने श्री ..... विभाग ..... की जांच की है। जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं तथा पाया है कि वह अपनी अस्वस्थता से स्वस्थ हो गया है/गई है तथा अब सरकारी सेवा में ड्यूटी पुनःग्रहण करने के लिए फिट है। मैंने/हमने मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) जिस पर अवकाश प्रदान किया गया या बढ़ाया गया था, की जांच कर ली है तथा इन्हें मेरे/हमारे निर्णय पर पहुंचने में विचार में लिया है/लिए हैं।"

आवेदक के हस्ताक्षर

सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की उपस्थिति में

सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(मोहर तथा तिथि सहित)

टिप्पण.– जहां अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त किया है, तो ऐसे मामलें में उपयुक्तता प्रमाण–पत्र चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त किया जाएगा।

सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी / चिकित्सा बोर्ड के लिए हिदायते।

34. (1) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को किसी मामले में अवकाश प्रदान करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जिसमें कोई भी युक्तियुक्त लक्षण दिखाई नहीं देता हो कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी कभी अपनी ड्यूटी पुनः ग्रहण करने के लिए फिट होगा। ऐसे मामलों में तथ्य कि सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा के लिए स्थाई रूप से अनुपयुक्त है, तो उसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र में अभिलिखित करना होगा, तथा मामला सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) किसी मामलें में, जहां प्रारम्भिक रूप में अनुशंसित अवकाश की अवधि, या बाद में उसके किसी विस्तार सहित प्रारम्भिक रूप में अनुशंसित अवकाश की अवधि दो मास से अधिक नहीं है, तो चिकित्सा प्राधिकारी को सदैव प्रमाणित करना होगा कि उसकी राय में चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना अधिकारी के लिए आवश्यक है या नहीं हैं।

(3) सरकारी कर्मचारी, जो उपरोक्त खण्ड (1) के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी की सलाह पर चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख स्वयं उपस्थित होता है, तो चिकित्सा बोर्ड सरकारी कर्मचारी की जांच करने के बाद निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी करेगाः–

"हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम व्यावसायिक विचार के अनुसार, मामले की सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत जांच के बाद, हम श्री ..... के स्वास्थ्य को ऐसे रूप में समझते हैं जिसके सम्बन्ध में उसे दिनांक ..... से ..... तक अनुपस्थिति का अवकाश देना उसके स्वस्थ होने के लिए पूर्णतया आवश्यक हैं"।

(4) निर्णय करने से पूर्व कि क्या प्रमाण पत्र प्रदान करना है या इनकार करना है, के किसी सन्देहास्पद मामले में चिकित्सा बोर्ड आवेदक को चौदह दिन से अनधिक अवधि के लिए व्यावसायिक निगरानी के अधीन रोक सकता है। उस मामले में, चिकित्सा बोर्ड को निम्नलिखित प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगाः–

"श्री ..... ने उसको अवकाश प्रदान करने की सिफारिश करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु हमें आवेदन किया है, हमने ऐसा प्रमाण पत्र देने या इनकार करने से पूर्व उसको ..... दिन के लिए व्यावसायिक निगरानी के अधीन रोकने के लिए इसे उचित समझा है।"

———————

अध्याय–IX

देय तथा अनुज्ञेय अवकाश की किस्म

लम्बी छुट्टी विंग से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान करना।

35. (i) लम्बी छुट्टी विंग से भिन्न के सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय 'अर्जित अवकाश' की दर नीचे दिए गए अनुसार है :–

(क) उसकी सेवा के प्रथम 10 वर्ष के दौरान, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि का 1/24;

(ख) उसकी सेवा के आगामी 10 वर्ष के दौरान, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि का 1/18; तथा

(ग) उसके बाद, ड्यूटी पर बिताई गई अवधि का 1/12;

(ii) अर्जित अवकाश का संचय किसी सीमा तक अनुज्ञेय होगा किन्तु अधिकतम अर्जित अवकाश, जो सरकारी कर्मचारी को एक समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है, नीचे दिए गए अनुसार होगाः–

(क) 365 दिन, यदि भारत में बिताया गया है;

(ख) 500 दिन, यदि इस प्रकार दिया गया सम्पूर्ण अवकाश या उसका कोई भाग भारत के बाहर बिताया गया हैः

परन्तु भारत में बिताए गए ऐसे अवकाश की अवधि कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक नहीं होगी–

(iii) कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष तथा प्रशासकीय सचिव नीचे दिए गए अनुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं:–

ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारी	कार्यालयाध्यक्ष	भारत में या के बाहर 120 दिन तक
ग्रुप क तथा ख के कर्मचारी	कार्यालयाध्यक्ष	भारत में या के बाहर 30 दिन तक
उनके नियन्त्रण के अधीन कोई सरकारी कर्मचारी	विभागाध्यक्ष	भारत में या के बाहर 240 दिन तक
	प्रशासकीय विभाग	भारत में 365 दिन तक तथा भारत के बाहर 500 दिन तक

टिप्पण.– उपरोक्त सीमा से अधिक अर्जित अवकाश वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत किया जाएगा.–

छुट्टी विंग के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान करना।

36. (1) लम्बी छुट्टी विंग का सरकारी कर्मचारी किसी वर्ष में की गई ड्यूटी के सम्बन्ध में अर्जित अवकाश के लिए हकदार नहीं होगा जिसमें वह स्वंय पूरी लम्बी छुट्टी लेता हैं।

अपवाद.– सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए अर्ध वेतन अवकाश के बदले में दस दिन का अर्जित अवकाश, छुट्टी विंग (विंगों) में तैनात केवल अध्यापन अमले के लिए लम्बी छुट्टी के अतिरिक्त, अनुज्ञेय होगाः

परन्तु कोई भी ऐसा अवकाश सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान अनुज्ञेय नहीं होगा।

टिप्पण.– छुट्टी विंग के कर्मचारियों की सूची इस नियम के अनुबन्ध में दी गई है।

(2) किसी वर्ष के सम्बन्ध में ऐसे सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अर्जित अवकाश जिसमें उसे पूर्ण लम्बी छुट्टी लेने से रोका गया है तथा उसको ड्यूटी ग्रहण करने के लिए या लम्बी छुट्टी के दौरान लोकहित में प्रशिक्षण या सेमिनार में भाग लेने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है, तो वह पूर्ण लम्बी छुट्टी के सम्बन्ध में न ली गई लम्बी छुट्टी के दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित अवधियों के ऐसे अनुपात में अर्जित अवकाश का हकदार होगा :–

(i)	दस वर्ष या कम की सेवा के सरकारी कर्मचारी को	15 दिन
(ii)	दस वर्ष से अधिक सेवा किन्तु बीस वर्ष की सेवा से अनधिक के सरकारी कर्मचारी को	20 दिन
(iii)	बीस वर्ष से अधिक की सेवा के सरकारी कर्मचारी को	30 दिन

परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी को लम्बी छुट्टी के पन्द्रह दिन से अधिक उपभोग करने से रोका गया है, तो उसे लम्बी छुट्टी के किसी भाग को स्वंय लिया गया नहीं समझा जाएगा।

(3) यदि किसी वर्ष में वह स्वयं लम्बी छुट्टी नहीं लेता है, तो अर्जित अवकाश उप–नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार उस वर्ष के सम्बन्ध में अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 1.– जब कभी सरकारी कर्मचारी को लम्बी छुट्टी के दौरान ड्यूटी पर वापस बुलाया गया है या प्रशिक्षण लेने या सेमिनार में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है, तो उसकी सेवा पंजी में आवश्यक प्रविष्टि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

टिप्पण 2.– इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण या सेमिनार की अवधि में यात्रा की अवधि शामिल है।

"अनुबन्ध"

लम्बी छुट्टी विंग के कर्मचारी

लम्बी छुट्टी विंग के कर्मचारियों की सूची नीचे दिए गए अनुसार है :–

I	न्यायिक	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल), तथा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल) तथा उनकी स्थापना जिसमें आदेशिका तामील करने से सम्बन्धित कार्य में वास्तव में नियोजित आदेशिका तामील करने वाली स्थापना शामिल हैं।
II	(क) शिक्षा (सामान्य)	1. पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिकीय अमला, रैस्टोरर तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर लडके तथा लड़कियों के लिए सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, अमला, प्रयोगशाला परिचर तथा स्थापना। 2. लिपिकीय अमले तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर लडके तथा लड़कियाँ, सरकारी विद्यालयों के प्रधान, अमला तथा प्रयोगशाला परिचर।
	(ख) शिक्षा (तकनीकी तथा सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	1. सरकारी पॉलीटैक्नीक (बहुशिल्प) संस्थाओं का अमला (लिपिकीय–वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, प्रशिक्षण तथा नियोजन अधिकारी, कर्मशाला अधीक्षक, फोरमैन अनुदेशक, पुस्तकाध्यक्ष को छोड़कर)। 2. सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा अमला (लिपिकीय–वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर)।
III	उद्योग	सरकारी जूता संस्था, रेवाड़ी का प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापन अमला।
IV	स्वास्थ्य	औषधनिर्माण विभाग के प्रधानाचार्य, प्रोफैसर, ऐसोसिएट–प्रोफैसर, रीडर, सहायक प्रोफैसर, प्राध्यापक तथा कनिष्ठ प्राध्यापक।

टिप्पण.– सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उपरोक्त के अतिरिक्त किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग को लम्बी छुट्टी विंग से सम्बन्धित घोषित करने के लिए सक्षम है।

37. (1) 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी होने पर लम्बी छुट्टी विंग के अध्यापन अमले से भिन्न सभी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगा। लम्बी छुट्टी के अध्यापन अमले से अन्यथा सरकारी कर्मचारियों को अर्धवेतन अवकाश प्रदान करना।

(2) देय अर्धवेतन अवकाश सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रयोजन के लिए प्रदान किया जा सकता है।

(3) अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैः–

ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारी	कार्यालयाध्यक्ष	120 दिन तक
उनके नियन्त्रणाधीन कोई सरकारी कर्मचारी	विभागाध्यक्ष	240 दिन तक
	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्ति

38. (1) देय अर्धवेतन अवकाश की मात्रा के आधे से अनधिक का परिवर्तित अवकाश सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रदान किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे अवकाश की दुगनी मात्रा अर्ध वेतन अवकाश के लेखे से विकलित होगी। परिवर्तित अवकाश प्रदान करना।

(2) कोई भी परिवर्तित अवकाश इन नियमों के अधीन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी के पास विश्वास का कारण है कि सरकारी कर्मचारी इसकी समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस आएगा।

(3) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार हैं:–

ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारी	कार्यालयाध्यक्ष	120 दिन तक
उनके नियन्त्रणाधीन कोई सरकारी कर्मचारी	विभागाध्यक्ष	240 दिन तक
	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण शक्ति

(4) सम्पूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 180 दिन तक अर्धवेतन अवकाश, जहां ऐसा अवकाश लोक हित में अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

टिप्पण.– जहां परिवर्तित अवकाश इस नियम के अधीन सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया है तथा वह बाद में सेवानिवृत्त होने का इरादा करता है, तो परिवर्तित अवकाश को अर्धवेतन अवकाश में बदल दिया जाएगा तथा परिवर्तित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के अन्तर को वसूल किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रभाव का एक वचन सरकारी कर्मचारी से लेना चाहिए, जो स्वयं परिवर्तित अवकाश लेता है, किन्तु प्रश्न कि क्या सम्बन्धित कर्मचारी से अवकाश वेतन के रूप में अधिकता में प्राप्त की गई राशि को वापस करने की अपेक्षा करनी चाहिए, को प्रत्येक मामले के गुण–आधार पर निर्णीत करना चाहिए अर्थात् यदि सेवा निवृत्ति स्वैच्छिक है, वापसी लागू होगी, किन्तु यदि सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण आगामी सेवा के लिए उसे अयोग्य ठहराए जाने से उस पर अनिवार्य रूप से थोपी गई है, तो कोई भी वापसी नहीं ली जाएगी।

39. (1) अर्ध वेतन पर अदेय अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सम्पूर्ण सेवा के दौरान 360 दिन से अधिक के लिए सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जा सकता; अदेय अवकाश प्रदान करना।

(i) अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि ड्यूटी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के लौटने की उचित सम्भावना है;

(ii) अदेय अवकाश उसके बाद अर्जित किए जाने वाले संभाव्य अर्धवेतन अवकाश तक सीमित है;

(iii) अदेय अवकाश अर्धवेतन अवकाश लेखे के विरूद्ध विकलित किया जाएगा जिसे सरकारी कर्मचारी बाद में अर्जित करता है।

(2) (क) जब सरकारी कर्मचारी अदेय अवकाश के समय स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन करता है, तो उसकी सेवानिवृत्ति निम्नलिखित तिथि से प्रभावी होगी–

(i) जिसको ऐसा अवकाश आरम्भ होता है, यदि यह निजी कार्यो के लिए लिया गया है, तथा उसे ऐसे अवकाश के दौरान प्राप्त अवकाश वेतन लौटाना होगा; या

(ii) नोटिस की प्राप्ति पर, यदि अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर लिया गया है तथा उसे ऐसे अवकाश के दौरान नोटिस की तिथि से प्राप्त अवकाश वेतन लौटाना होगा।

(ख) जब सरकारी कर्मचारी, जिसने 'अदेय अवकाश' का उपयोग कर लिया है, किसी भी कारण से स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति के लिए आवेदन करता है या ड्यूटी पर लौटने के बाद किसी समय पर त्याग–पत्र देता है, तो उसे ड्यूटी पर लौटने के बाद उसके खाते में जमा अर्धवेतन अवकाश के समायोजन के बाद अवकाश वेतन, यदि कोई हो, वापस करना होगा।

परन्तु कोई भी अवकाश वेतन खण्ड 2 (क) या (ख) के अधीन वसूल नहीं किया जाएगा यदि सेवानिवृत्ति आगामी सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी की अस्वस्थता के कारण से अयोग्य ठहराए जाने के कारण है या उसकी मृत्यु की घटना में है :

परन्तु यह और कि कोई भी अवकाश वेतन समयपूर्व सेवानिवृत्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर खण्ड 2 (क) या (ख) के अधीन वसूल नहीं किया जाएगा।

(3) अदेय अवकाश को यहां तक कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर भी परिवर्तित अवकाश या किसी अन्य किस्म के अवकाश में बदलना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) अदेय अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है:–

ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारी	कार्यालयाध्यक्ष	60 दिन तक
उनके नियन्त्रणाधीन कोई सरकारी कर्मचारी	विभागाध्यक्ष	120 दिन तक
	प्रशासकीय विभाग	180 दिन तक

टिप्पण.– इस नियम के अन्तर्गत अदेय अवकाश उतने दिन तक प्रदान करना सीमित होगा जितने दिन का अर्धवेतन अवकाश कर्मचारी के ड्यूटी पर वापिस आने के बाद अर्जित करने की आशा हो।

असाधारण अवकाश प्रदान करना।

40. (1) असाधारण अवकाश विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा सकता है:–

(i) जब न तो अर्जित अवकाश तथा न ही अर्धवेतन अवकाश उसके जमा शेष है; या

(ii) जब ऐसे अवकाश के दोनों में से कोई एक उसके जमा बाकी हैं, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए लिखित में आवेदन करता है।

(2) अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित की अवधि भूतलक्षी रूप से बदलने के लिए भी सक्षम होगा–

(क) अवकाश के बिना अनुपस्थिति या जानबूझकर अनुपस्थिति केवल असाधारण अवकाश में न कि किसी अन्य किस्म के देय अवकाश में;

(ख) पहले ही प्रदान किए गए असाधारण अवकाश को, अर्जित अवकाश तथा/या अर्धवेतन अवकाश में बशर्ते कि वह असाधारण अवकाश लेने के समय पर अनुज्ञेय था।

टिप्पण 1.– उप–नियम (2) के उप–खण्ड (क) के अधीन जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी रूप से असाधारण अवकाश में परिवर्तित करना सम्पूर्ण शक्ति है तथा उप नियम (1) में वर्णित शर्तो के अध्यधीन नहीं है। ऐसा परिवर्तन अनुज्ञेय है, चाहे कोई अन्य अवकाश सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को बिना अवकाश अनुपस्थिति के प्रारम्भ होने के समय पर अनुज्ञेय था। तथापि, इस रियायत का सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

टिप्पण 2.–चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सरकारी कर्मचारी को प्रदान किए गए असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर ''अदेय अवकाश'' में भूतलक्षी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।

किसी एक अवसर पर असाधारण अवकाश की सीमा।

41. निम्नलिखित सीमाओं से अनधिक असाधारण अवकाश किसी एक अवसर पर प्रदान नहीं किया जा सकता:–

(i) छः मास;

(ii) अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वीकृति के अध्यधीन सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 24 मास; तथा

(iii) लोक हित में सरकार द्वारा प्रमाणित किए गए उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए 24 मास; बशर्ते कि ऐसे अवकाश के प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी ने नियमों के अधीन किसी प्रकार के देय व अनुज्ञेय अवकाश की समाप्ति की तिथि तक {(उपरोक्त (i) के अधीन 'छः मास' के असाधारण अवकाश सहित)} तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।

असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।

42. निम्नलिखित प्राधिकारी यदि कोई प्रतिस्थानी अपेक्षित नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं अन्यथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारी	कार्यालयाध्यक्ष	120 दिन तक
उनके नियन्त्रणाधीन कोई सरकारी कर्मचारी।	विभागाध्यक्ष	240 दिन तक
	प्रशासकीय विभाग	365 दिन तक

सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश प्रदान करना (एल पी आर)।

43. सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि तक तथा सहित 180 दिन से अनधिक देय अर्जित अवकाश तथा/या अर्धवेतन अवकाश की सीमा तक सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (एल.पी.आर) प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी, जो सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर अग्रसर हो गया है, को सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि के दौरान ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। समय–समय पर विहित सीमा तक अर्जित अवकाश को भुनाने का लाभ सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के अतिरिक्त भी अनुज्ञेय होगा।

———————

अध्याय–X

अध्ययन अवकाश से भिन्न अवकाश की विशेष किस्में

मातृत्व अवकाश प्रदान करना।

44. (1) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर कार्यालयाध्यक्ष महिला सरकारी कर्मचारी को इसके प्रारम्भ की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान कर सकता है। इसे अवकाश खाते के विरूद्ध विकलित नहीं किया जाएगा, तथापि, आवश्यक प्रविष्टियां सेवापंजी के सम्बन्धित प्ररूप में की जाएंगी।

(2) सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान 45 दिन से अनधिक मातृत्व अवकाश सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश के अध्यधीन, महिला सरकारी कर्मचारी को गर्भस्राव/ गर्भपात के कारण भी प्रदान किया जा सकता है।

(3) किसी अन्य किस्म का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र का आग्रह किए बिना मातृत्व अवकाश के प्रारम्भ में लगाने के लिए अनुमत किया जा सकता है। किन्तु मातृत्व अवकाश की निरन्तरता में आवेदित किया गया कोई अवकाश केवल तभी प्रदान किया जा सकता है यदि अनुरोध के साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाया गया है।

(4) रविवारों सहित मान्यताप्राप्त छुट्टियाँ तथा अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाली लम्बी छुट्टी को मातृत्व अवकाश के रूप में समझा जाएगा।

टिप्पण 1.– मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाली महिला कर्मचारी को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा।

टिप्पण 2.– नए जन्मे बच्चे की बीमारी के मामले में मातृत्व अवकाश की निरन्तरता में कोई अन्य किस्म का अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से, इस प्रभाव के चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन कि बीमार बच्चे की स्थिति पर माँ का व्यक्तिगत ध्यान देना न्यायसंगत है तथा बच्चे के लिए उसकी उपस्थिति पूर्णतया आवश्यक है, भी प्रदान किया जा सकता है।

बालक दत्तकग्रहण अवकाश प्रदान करना।

45. (1) किसी महिला सरकारी कर्मचारी को विभागाध्यक्ष द्वारा एक वर्ष से कम आयु के बालक के वैध दत्तकग्रहण के लिए अधिकतम छः मास की अवधि के लिए या दत्तक बालक के एक वर्ष की आयु का होने तक, जो भी पहले हो, बालक दत्तकग्रहण अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

व्याख्या.– दत्तक बालक की आयु के प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण मास (मासों) को लेखें में लिया जाएगा तथा क्रमभंग मास अवगणित होगा। यदि बालक की आयु चार मास बीस दिन है, तो बालक दत्तकग्रहण अवकाश छः मास के लिए अनुज्ञेय होगा, यदि बालक की आयु आठ मास उन्तीस दिन है, तो चार मास का बालक दत्तकग्रहण अवकाश अनुज्ञात किया जा सकता है।

(2) कोई भी बालक दत्तकग्रहण अवकाश तीसरे बालक के रूप में लड़की के दत्तकग्रहण के मामले के सिवाए, दत्तकग्रहण के समय पर पहले से ही दो जीवित बच्चों की दत्तकग्राही माता को अनुज्ञेय नहीं होगा।

(3) रविवार सहित मान्यताप्राप्त छुट्टी तथा अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाली लम्बी छुट्टी को बालक दत्तकग्रहण अवकाश के रूप में समझा जाएगा।

(4) दत्तकग्राही मां को बालक दत्तकग्रहण अवकाश की निरन्तरता में किसी किस्म का देय तथा अनुज्ञेय अवकाश, यदि आवेदन किया हो, (अदेय अवकाश तथा परिवर्तित अवकाश सहित) चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर साठ दिन से अनधिक या दत्तक बालक के एक वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए, जो भी कम हो, भी प्रदान किया जा सकता है।

(5) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि दत्तकग्रहण वास्तविक नहीं था, या दत्तक बालक वापस दे दिया गया है, तो उस अवधि के लिए भुगतान किया गया अवकाश वेतन कर्मचारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधि की अभिभावी ब्याज की दर सहित वसूल किया जाएगा, या उपभोग किया गया अवकाश देय अर्जित अवकाश लेखा में से काट लिया जाएगा।

बालक देखभाल अवकाश प्रदान करना (सी सी एल)।

46. सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन किसी महिला सरकारी कर्मचारी को बालक देखभाल अवकाश प्रदान कर सकता है :–

(1) बालक देखभाल अवकाश केवल 18 वर्ष की आयु से नीचे के उसके दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान 730 दिनों तक की अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा।

(2) बालक देखभाल अवकाश को अधिकार के मामले के रूप में नहीं मांगा जा सकता तथा कोई भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश की उचित स्वीकृति के बिना बालक देखभाल अवकाश पर अग्रसर नहीं होगी।

(3) बालक देखभाल अवकाश परिवीक्षा अवधि के दौरान अनुज्ञेय होगा, परन्तु परिवीक्षा अवधि उपयोग किए गए बालक देखभाल अवकाश की अवधि तक विस्तारित होगी।

(4) इस अवकाश का 30 दिन से कम की अवधि के लिए लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

(5) रविवारों सहित मान्यता प्राप्त छुट्टियाँ तथा अवकाश की अवधि के दौरान आने वाली लम्बी छुट्टी को भी बालक देखभाल अवकाश के रूप में समझा जाएगा।

(6) बालक देखभाल अवकाश की 730 दिनों की अवधि से आगे अदेय अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के बिना) इन नियमों के अधीन प्रदान किया जा सकता है।

(7) नियमित अवकाश की किसी अन्य किस्म को बालक देखभाल अवकाश के आगे या पीछे जोड़ा जा सकता हैं।

(8) बालक देखभाल अवकाश का अवकाश लेखा विहित प्रोफार्मा में अनुरक्षित किया जाएगा तथा सेवा–पंजी में रखा जाएगा।

(9) पहले से उपयोग किए गए किसी अन्य किस्म के अवकाश की अवधि या अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से बालक देखभाल अवकाश में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(10) कोई भी बालक देखभाल अवकाश आयु को ध्यान में रखे बिना तीसरे या आगामी बालक के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा।

(11) बालक देखभाल अवकाश महिला सरकारी कर्मचारी को आवश्यकता के समय पर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उनकी मदद करने के आशय से अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि बालक देखभाल अवकाश कार्यालयों/संस्थाओं/विद्यालयों इत्यादि के कार्यों में बाधा डाले। अतः, इसको ध्यान में रखना स्वीकृति प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

(12) ऐसे अवकाश को प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगेः–

नियुक्ति प्राधिकारी	ग्रुप ग तथा घ कर्मचारी	पूर्ण शक्तियाँ
विभागाध्यक्ष	ग्रुप ख कर्मचारी	पूर्ण शक्तियाँ
प्रशासकीय सचिव	ग्रुप क कर्मचारी	पूर्ण शक्तियाँ

टिप्पण.– यह नियम तदर्थ आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों तथा वर्क चार्जड कर्मचारियों को भी लागू होगा, तथापि कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी न करने से पूर्व तथा किसी भी कारण से सेवामुक्ति या सेवा के समापन की तिथि से आगे लागू नहीं होगा।

पितृत्व अवकाश प्रदान करना।

47. (1) दो जीवित बच्चों से कम वाले पुरूष सरकारी कर्मचारी को उसकी पत्नी के प्रसव के दौरान या एक वर्ष से कम के बालक के वैध दतकग्रहण की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(2) पन्द्रह दिन की ऐसी अवधि के दौरान अवकाश वेतन जैसे अर्जित अवकाश के समय अनुज्ञेय है, भुगतान किया जाएगा।

(3) ऐसे अवकाश के दौरान आने वाली मान्यता प्राप्त छुट्टियों तथा रविवार (रविवारों) को भी पितृत्व अवकाश के रूप में समझा जाएगा।

(4) यदि पितृत्व अवकाश को उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं लिया गया है, तो ऐसे अवकाश को समाप्त समझा जाएगा।

टिप्पण.–पितृत्व अवकाश को साधारणतः किन्हीं भी परिस्थितियों में इन्कार नहीं किया जा सकता।

अस्पताल अवकाश छुट्टी प्रदान करना।

48. (1) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग सम्पूर्ण सेवा के दौरान एक या अधिक समय में 730 दिनों तक अस्पताल अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम है जो निम्नलिखित को अनुज्ञेय होंगी–

(क) ग्रुप 'घ' सरकारी कर्मचारी; तथा

(ख) ऐसे ग्रुप 'ग' सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियों में खतरनाक मशीनरी चलाने, विस्फोटक सामग्री, विषाक्त औषध तथा सदृश, या खतरनाक कार्य करने शामिल हैं, बीमारी या चोट के लिए अस्पताल या अन्यथा में चिकित्सा उपचार के समय यदि ऐसी बीमारी या चोट उनकी सरकारी ड्यूटियों के प्रत्यक्ष कारण से है।

(2) अस्पताल अवकाश केवल सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति पर प्रदान किया जाएगा।

(3) अवकाश वेतन निम्न अनुसार के समान अनुज्ञेय होगाः–

(i) ऐसे अवकाश के प्रथम 120 दिनों के लिए अर्जित अवकाश; तथा

(ii) ऐसे अवकाश की शेष अवधि के लिए अर्धवेतन अवकाश। तथापि, सरकारी कर्मचारी अर्जित अवकाश के समान अवकाश वेतन को चुन सकता है जिसके लिए उसका अपना अर्धवेतन अवकाश विकलित किया जाएगा। इन परिस्थितियों के अधीन अस्पताल अवकाश तथा अर्ध वेतन अवकाश साथ–साथ चलेंगे।

(4) अस्पताल छुट्टी अवकाश लेखे के विरूद्ध विकलित नहीं की जाएगी तथा देय किस्म के किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित की जा सकती है; परन्तु एक साथ अवकाश संयोजन की कुल अवधि 28 मास से अधिक नहीं होगी।

(5) किसी व्यक्ति के मामले में जिसको कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू होता है, इस नियम के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन की राशि उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य प्रतिकर, यदि कोई हो, की राशि तक कम किया जाएगा।

विशेष अशक्तता अवकाश प्रदान करना।

49. (1) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग विशेष अशक्तता अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम है। केवल उस अवधि तक के लिए जितना कि सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित है। किन्तु सरकारी कर्मचारी जो चोट से अशक्त हुआ है को 730 दिनों से अधिक नहीं जिसे चोट–

(क) जानबूझकर हुई है या पहुंची है; या

(ख) संयोग से लग गई है; या

(ग) उसकी सरकारी ड्यूटियों के सम्यक पालन के परिणामस्वरूप; या

(घ) किसी विशेष ड्यूटी को करने में उपगत बीमारी द्वारा;

जो उसे उस द्वारा की गई ड्यूटी से जुड़े हुए साधारण जोखिम से परे उसकी बीमारी या चोट को बढ़ाने में प्रभाव डालती है।

(2) ऐसे मामले में विशेष अशक्तता अवकाश प्रदान करना निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगा कि–

(i) अशक्तता सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सरकारी ड्यूटी करने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए;

(ii) सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अनुपस्थिति की अवधि की अंशतः विशेष अशक्तता अवकाश तथा अंशतः अवकाश की किसी अन्य किस्म द्वारा पूर्ति की जा सकती है, परन्तु अर्जित अवकाश में अनुज्ञेय अवकाश के बराबर अवकाश वेतन पर प्रदान किए गए विशेष अशक्तता अवकाश की राशि 120 दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) ऐसा अवकाश तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि अशक्तता घटना के तीन मास के भीतर स्वयं प्रकट न हुई हो तथा अशक्त व्यक्ति ने सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में इसे लाने में सम्यक् तत्परता से कार्य न किया हो।

(4) विशेष अशक्तता अवकाश को किसी अन्य किस्म के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।

(5) विशेष अशक्तता अवकाश एक बार से अधिक प्रदान किया जा सकता है, यदि अशक्तता बाद की तिथि में बढ़ जाती है या समरूप परिस्थितियों को दोहराती है। किन्तु किसी एक अशक्तता के परिणामस्वरूप ऐसा अवकाश 730 दिन से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा।

(6) विशेष अशक्तता अवकाश को अवकाश खाते के विरूद्ध विकलित नहीं किया जाएगा। तथापि, आवश्यक प्रविष्टि सम्बधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पंजी में उपलब्ध विहित प्ररूप में की जाएगी।

(7) ऐसे अवकाश के दौरान अवकाश वेतन निम्नलिखित अवधि के लिए दिया जाएगा–

(क) प्रथम 120 दिन, जिसमें उप नियम (5) के अधीन प्रदान किए गए ऐसे अवकाश की अवधि शामिल है, अर्जित अवकाश के समय अवकाश वेतन के समान होगा; तथा

(ख) किसी ऐसे अवकाश की शेष अवधि अर्ध वेतन अवकाश के समय अवकाश वेतन के समान होगा : तथापि, सरकारी कर्मचारी शेष अवधि जिसके लिए उसका अपना अर्ध

वेतन अवकाश लेखा विकलित किया जाएगा, के लिए अर्जित अवकाश के समान अवकाश वेतन को चुन सकता है। इन परिस्थितियों के अधीन विशेष अशक्तता अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश साथ–साथ चलेंगे।

(8) इस नियम के उपबन्ध सैनिक बल से सेवा के परिणाम स्वरूप अशक्त सिविल सरकारी कर्मचारी को भी लागू होंगे, यदि उसे आगामी सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त रूप में सेवामुक्त किया गया है, किन्तु आगामी सिविल सेवा के लिए पूर्णतया तथा स्थाई रूप से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(9) अवकाश वेतन का दायित्व सरकारी कर्मचारी, जो विदेश सेवा में रहा है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित विदेशी नियोजक द्वारा उठाया जाएगा, यदि चिकित्सा रूप से यह प्रमाणित किया गया है कि अशक्तता, अवधि जो अशक्तता के प्रत्यावर्तन की तिथि तथा प्रकटीकरण की तिथि के बीच समाप्त हो गई है, को ध्यान में रखे बिना विदेश सेवा में या के माध्यम से उपगत हुई है।

(10) (क) किसी व्यक्ति के मामले में जिसको कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) लागू होता है, तो इस नियम के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन की राशि उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भुगतान योग्य मुआवजे की राशि से घटा दी जाएगी।

(ख) किसी व्यक्ति के मामले में जिसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है, तो इस नियम के अधीन भुगतान योग्य अवकाश वेतन की राशि तत्सम अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य लाभ की राशि से घटा दिया जाएगा।

———————

अध्याय–XI

अध्ययन अवकाश

अध्ययन अवकाश प्रदान करने की शर्तें।

50. (1) अध्ययन अवकाश, सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा सकता है जिसे भारत में या के बाहर उसकी ड्यूटी के क्षेत्र के साथ सीधे तथा निकट सम्बन्ध वाले व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्चतर अध्ययन या विशिष्ट प्रशिक्षण सहित अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के लिए सक्षम प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निबन्धनों पर जो विहित किया जाए। ऐसे अवकाश को अवकाश खाते के विरूद्ध विकलित नहीं किया जाएगा।

(2) अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता हैं–

(i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरे के लिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी नियमित शैक्षिक या अर्ध–शैक्षिक पाठ्यक्रम में हाजिर नहीं हो सकता, यदि प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरा लोकहित के दृष्टिगत सरकार के निश्चित लाभ के रूप में प्रमाणित किया गया है तथा सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी क्षेत्र से सम्बन्धित है; या

(ii) लोक प्रशासन के ढांचे या पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में अध्ययनों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कि–

(क) विशेष अध्ययन या अध्ययन दौरा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए; तथा

(ख) सरकारी कर्मचारी से अध्ययन अवकाश के समय उस द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट उसकी वापसी पर प्रस्तुत करनी अपेक्षित होनी चाहिए;

(iii) अध्ययनों के लिए, जो किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य से निकट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं हो सकते किन्तु जो लोक सेवा की अन्य शाखाओं में नियोजित सिविल कर्मचारी के रूप में उसकी योग्यताओं में सुधार करने तथा उसे बेहतर सहयोग से लैस करने के लिए सम्भाव्य रीति में उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के योग्य हो सकते हैं।

टिप्पण.–खण्ड (iii) में आने वाले अध्ययन अवकाश के आवेदन को वित्त विभाग के परामर्श से प्रत्येक मामले में गुणदोष पर विचारा जाएगा।

(3) सामान्यतः अध्ययन अवकाश सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जाएगा जिसने–

(i) सरकार के अधीन नियमित आधार पर पांच वर्ष से कम की सेवा की है; या

(ii) सरकार के अधीन राजपत्रित पद धारण न किया हो; या

(iii) जिसकी सेवानिवृत्ति देय है या तिथि जिसको वह अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर वापसी के लिए प्रत्याशित है, के पांच वर्ष के भीतर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति का विकल्प देता है।

(4) अध्ययन अवकाश तब तक नहीं दिया जाएगा, यदि–

(i) अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है कि प्रस्तावित अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से लोक हित के दृष्टिगत निश्चित लाभ होगा;

(ii) यह शैक्षिक या साहित्यिक विषय से भिन्न विषयों में अध्ययनों के लिए नहीं है; तथा

(iii) वित्त मन्त्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, अध्ययन अवकाश प्रदान करने में शामिल विदेशी विनिमय जारी करने के लिए सहमत है, यदि ऐसा अवकाश भारत के बाहर है।

(5) भारत के बाहर अध्ययन अवकाश ऐसे विषयों में अध्ययनों के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा जिनके लिए भारत में वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा या शिक्षा मन्त्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा साँस्कृतिक कार्य मन्त्रालय द्वारा प्रशासित किसी स्कीम के अधीन पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं।

(6) अध्ययन अवकाश, ऐसी प्रायिकता से सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जाएगा जो अवकाश पर उसकी अनुपस्थिति के कारण नियमित कार्य के सम्पर्क से उसको हटाने या संवर्ग कठिनाईयों का कारण बने।

अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन।

51. (1) अध्ययन अवकाश के लिए प्रत्येक आवेदन अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी द्वारा अपेक्षित पाठ्यक्रम या अध्ययन पाठयक्रम तथा कोई परीक्षा, जिसमें वह जाने का प्रस्ताव करता है, उसमें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) जहां सरकारी कर्मचारी के लिए अपने आवेदन में पूर्ण ब्यौरे देना सम्भव नहीं है या यदि, भारत छोड़ने के बाद, वह प्रोग्राम में कोई परिवर्तन करता है, जो भारत में अनुमोदित है, तो वह मिशन के अध्यक्ष या अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जैसी

भी स्थिति हो, को यथा सम्भव शीघ्र ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, तथा अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रारम्भ या उसके सम्बन्ध में उपगत कोई खर्च उसके अपने जोखिम पर ऐसा करने के लिए तब तक तत्पर नहीं होगा जब तक वह सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता।

अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा।

52. अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा, जो सरकारी कर्मचारी को एक या अधिक समय में प्रदान की जा सकती है, निम्नानुसार होगीः–

(i) सामान्यतः किसी एक समय पर बारह मास, जिसे अपवादिक कारणों के सिवाए बढ़ाया नहीं जाएगा; तथा

(ii) सम्पूर्ण सेवा के दौरान, कुल चौबीस मास (किन्हीं अन्य नियमों के अधीन प्रदान किए गए अध्ययन अवकाश को मिलाकर।)

टिप्पण.– अध्ययन अवकाश को अवकाश खाते में विकलित नहीं किया जाएगा।

अध्ययन अवकाश की स्वीकृति।

53. (1) अध्ययन अवकाश के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) जहां सरकारी कर्मचारी अन्य विभाग/संगठन में प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा में सेवा कर रहा है, तो उसे उसके पैतृक विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(3) जहां अध्ययन अवकाश विदेश में अध्ययनों को जारी रखने के लिए प्रदान किया गया है, तो सम्बन्धित मिशन के अध्यक्ष को अवकाश देने वाले प्राधिकारी द्वारा तथ्य की सूचना दी जाएगी।

(4) अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करने पर, सरकारी कर्मचारी, प्राधिकारी जिसने उसको अध्ययन अवकाश प्रदान किया है, को अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रभारी अधिकारी की टिप्पणी, यदि कोई हो, सहित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ तथा समाप्ति की तिथियां सूचित करते हुए पास की गई परीक्षा या किए गए अध्ययन के विशेष पाठयक्रमों के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अध्ययन भारत से बाहर किसी देश में किया गया है जहां भारतीय मिशन है, तो प्रमाण–पत्र सम्बन्धित मिशन के अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। जब अध्ययन अवकाश भारत में या किसी अन्य देश में लिया गया है, जहां कोई भी भारतीय मिशन नहीं है, तो ऐसा प्रमाण पत्र उस प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जिसने अवकाश स्वीकृत किया है।

अध्ययन अवकाश के साथ अन्य किस्म के अवकाश का संयोजन।

54. (1) अध्ययन अवकाश में अन्य किस्म के अवकाश संयोजित किए जा सकते हैं किन्तु किसी भी मामलें में सरकारी कर्मचारी की नियमित ड्यूटियों से अठाईस मास से अधिक की कुल अनुपस्थिति वाले असाधारण अवकाश से भिन्न अवकाश का संयोजन अध्ययन अवकाश के साथ प्रदान नहीं किया जाएगा।

टिप्पण.–अठाईस मास की अनुपस्थिति की सीमा में लम्बी छुट्टी की अवधि शामिल है।

(2) किसी अन्य किस्म के अवकाश के संयोजन में प्रदान किए गए अध्ययन अवकाश का सरकारी कर्मचारी, यदि वह ऐसा चाहता है, तो किसी अन्य किस्म के अवकाश के दौरान अपना अध्ययन प्रारम्भ कर सकता है, किन्तु अध्ययन पाठ्यक्रम के एक साथ होने वाली ऐसे अवकाश की अवधि को अध्ययन अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

अध्ययन पाठ्यक्रम से अधिक अध्ययन अवकाश का विनियमन।

55. जब सरकारी कर्मचारी के अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि स्वीकृत अध्ययन अवकाश से कम पड़ती है, तो वह अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ड्यूटी पुनः ग्रहण करेगा, यदि अवकाश स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति, फालतू अवधि को किसी अन्य किस्म के अवकाश के रूप में समझे जाने हेतू प्राप्त नहीं की जाती।

अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन।

56. (1) अध्ययन अवकाश के दौरान, सरकारी कर्मचारी, छात्रवृत्ति, वजीफा या पारिश्रमिक, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्ध–वेतन अवकाश के दौरान अनुज्ञेय राशि के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करेगा।

(2) अध्ययन अवकाश पर सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित नियमों/हिदायतों में विहित शर्तों के अध्यधीन, स्टेशन जहां से वह अध्ययन अवकाश पर अग्रसर हुआ है, समय–समय पर यथा अनुज्ञेय दरों पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य प्रतिपूर्ति भत्तों का हकदार होगा।

अध्ययन भत्ता प्रदान करने के लिए शर्तें।

57. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विहित दर पर अध्ययन भत्ता अनुज्ञेय होगा, यदि अध्ययन अवकाश किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन के निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन में बिताई गई अवधि या किसी विशेष वर्ग के कार्य के निरीक्षण के किसी निश्चित दौरे में, तथा अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किसी परीक्षा में शामिल अवधि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भारत के बाहर अध्ययनों के लिए प्रदान किया गया है :–

(1) अवधि, जिसके लिए अध्ययन भत्ता प्रदान किया जा सकता है, कुल चौबीस मास से अधिक नहीं होगी।

(2) अध्ययन भत्ता सरकारी कर्मचारी से प्राप्त लिखित में वचन के अध्यधीन, अस्थाई रूप से प्रत्येक मास की समाप्ति पर भुगतान किया जा सकता है कि वह उपस्थिति या अन्यथा का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में उसकी असफलता के परिणामिक कोई अधिक अदायगी सरकार को वापस करेगा।

(3) सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान लम्बी छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए अध्ययन भत्ता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है कि:–

(i) वह लम्बी छुट्टी के दौरान वित्त विभाग के परामर्श से सरकार के निर्देशनों के अधीन किसी विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम या व्यावहारिक प्रशिक्षण में उपस्थित होता है या

(ii) किसी ऐसे निर्देशन की अनुपस्थिति में, वह मिशन के अध्यक्ष या अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के सम्मुख सन्तोषजनक सबूत प्रस्तुत करता है कि उसने लम्बी छुट्टी के दौरान अपना अध्ययन जारी रखा है।

(4) सिवाए चौदह दिन की अधिकतम अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर पड़ने वाली लम्बी छुट्टी के दौरान कोई भी अध्ययन भत्ता प्राप्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पण.–लम्बी छुट्टी की अवधि, जिसके दौरान अध्ययन भत्ता प्राप्त किया गया है, को चौबीस मास की अधिकतम अवधि को संगणित करने के लेखे में लिया जाएगा, जिसके लिए अध्ययन भत्ता अनुज्ञेय है।

(5) अध्ययन भत्ता किसी ऐसी अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी उसकी अपनी सुविधा के अनुकूल होने के लिए अपना अध्ययन पाठ्यक्रम अवरूद्ध करता है :

परन्तु अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऐसे मामले में, जहां अध्ययन अवकाश भारत में या ऐसे देश में लिया है जहां कहीं कोई भी भारतीय मिशन नहीं है, तथा अन्य मामलों में, मिशन का अध्यक्ष, ऐसे समय में जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को जारी रखने में बीमारी द्वारा बाधित हुआ है, पर चौदह दिन से अनधिक किसी अवधि के लिए अध्ययन भत्ता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(6) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में निश्चित अध्ययन पाठ्यक्रम के मामलों में, अध्ययन भत्ता, यदि प्रयोग किया गया अध्ययन अवकाश भारत में या किसी देश में है, जहां कहीं कोई भी भारतीय मिशन नहीं है, अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथा अन्य मामलों में मिशन के अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति के उचित प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित समय–समय पर सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दावों पर भुगतानयोग्य होगा।

(7) अध्ययन अवकाश के लिए दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित उपस्थिति का प्रमाण पत्र अवधि की समाप्ति पर अग्रेषित किया जाएगा यदि सरकारी कर्मचारी शैक्षिणिक संस्था में अध्ययन कर रहा है, या तीन मास से अनधिक के अन्तरालों पर, यदि उसने किसी अन्य संस्था में अध्ययन कर रहा है।

(8) जब अनुमोदित अध्ययन प्रोग्राम में ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं है या शामिल नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी डायरी दर्शाते हुए कि उसने अपना समय कैसे बिताया है तथा ढंगों तथा प्रचालकों की प्रकृति को पूर्ण रूप से सूचित करने वाली एक रिपोर्ट तथा भारत में प्राप्त करने वाले ऐसे ढंगों या शर्तो के प्रचालन को अपनाने की सम्भावना के सम्बन्ध में सुझावों सहित सीधे या मिशन के अध्यक्ष के माध्यम से अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्णय करेगा कि क्या डायरी तथा रिपोर्ट दर्शाती है, कि सरकारी कर्मचारी का समय उचित रूप से प्रयोग किया गया था तथा तदानुसार अवधारित करेगा कि किस अवधि के लिए अध्ययन भत्ता प्रदान किया जा सकता है।

(9) (i) किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में जो राजपत्रित पद धारण करता है, पूर्ण दर पर अध्ययन भत्ते का भुगतान, इस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन किया जायेगा कि वह किसी छात्रवृत्ति/वजीफा या किसी अंशकालिक नियोजन के सम्बन्ध में किसी अन्य पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं कर रहा है।

(iii) किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो राजपत्रित पद धारण नहीं करता है, को नियम 50 के उपबन्धों की छूट में अध्ययन अवकाश प्रदान किया है।

ऐसा प्रमाण–पत्र, जो इस उप–नियम के खण्ड (i) में निर्दिष्ट है, आहरण अधिकारी द्वारा उससे प्राप्त किया जाएगा तथा उसे अध्ययन भत्ते की प्राप्ति के लिए बिल के साथ संलग्न किया जाएगा।

टिप्पण.–अध्ययन भत्ता या यात्रा भत्ता जो इन नियमों के अधीन विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है, से भिन्न किसी किस्म का कोई भी भत्ता, उसको प्रदान किए गए अध्ययन अवकाश की अवधि के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगा।

छात्रवृत्ति या वजीफे की प्राप्ति में सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन भत्ता प्रदान करना।

58. कोई सरकारी कर्मचारी जिसे अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, अवकाश वेतन के अतिरिक्त कोई छात्रवृत्ति या वजीफा जो सरकारी या गैर–सरकारी स्रोत से उसको दिया जा सकता है, प्राप्त करने तथा रखने के लिए अनुमत किया जा सकता है। साधारणतः ऐसे सरकारी कर्मचारी को कोई अध्ययन भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसे मामलों में जहां छात्रवृत्ति या वजीफे की वास्तविक राशि (छात्रवृत्ति या वजीफे के मूल्य से सरकारी कर्मचारी द्वारा भुगतान फीस की लागतें, यदि कोई हों, को काटने पर प्राप्त हो) अध्ययन भत्ते से कम है अनुज्ञेय है, किन्तु छात्रवृत्ति या वजीफा के लिए, वास्तविक छात्रवृत्ति या वजीफा तथा अध्ययन भत्ते के बीच का अन्तर अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारी को अध्ययन भत्ता प्रदान करना जो अध्ययन अवकाश के दौरान अंशकालिक नियोजन स्वीकार करता है।

59. यदि सरकारी कर्मचारी, जिसे अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, को, उसके अवकाश वेतन के अतिरिक्त, अंश कालिक नियोजन के सम्बन्ध में कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने तथा रखने के लिए अनुमत किया गया है, तो साधारणतः उसे कोई अध्ययन भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसे मामलों में, जहां अंशकालिक नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक की वास्तविक राशि (सरकारी कर्मचारी द्वारा भुगतान फीस की कोई लागत पारिश्रमिक से काटने पर प्राप्त हो) अध्ययन भत्ते से कम है, जो अनुज्ञेय होगी किन्तु पारिश्रमिक के लिए, वास्तविक पारिश्रमिक तथा अध्ययन भत्ते के बीच का अन्तर अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

यात्रा भत्ता प्रदान करना।

60. अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कर्मचारी को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

अध्ययन के लिए फीस की लागत।

61. अध्ययन अवकाश प्रदान किए गए सरकारी कर्मचारी से सामान्यतः अध्ययनों के लिए भुगतान की गई फीस की लागतों को पूरा करना अपेक्षित होगा किन्तु अपवादिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी ऐसी फीसें प्रदान करना स्वीकृत कर सकता है :

परन्तु किसी भी मामले में फीस की लागत सरकारी कर्मचारी को भुगतान नहीं की जाएगी जो किसी भी स्रोत से छात्रवृत्ति या वजीफा प्राप्त कर रहा हैं या जिसे उसके अवकाश वेतन के अतिरिक्त, अंशकालिक नियोजन के सम्बन्ध में कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने या रखने के लिए अनुमत किया गया है।

बन्ध–पत्र का निष्पादन।

62. यदि अध्ययन अवकाश या ऐसे अवकाश का विस्तार स्थायी सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया है, तो उसे, उसको प्रदान किए गए अध्ययन अवकाश या ऐसे अवकाश का विस्तार शुरू होने से पूर्व, इन नियमों के साथ संलग्न अनुबन्ध–3 या अनुबन्ध–4 जैसी भी स्थिति हो, में दिए गए अनुसार बन्ध–पत्र निष्पादित करना अपेक्षित होगा। यदि अध्ययन अवकाश या ऐसे अवकाश का विस्तार अस्थाई सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया है, तो बन्ध–पत्र इन नियमों के साथ संलग्न अनुबन्ध–5 तथा अनुबन्ध–6, जैसी भी स्थिति में हो, में दिए गए अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

अध्ययन अवकाश के बाद त्याग पत्र या सेवा निवृत्ति

63. (1) यदि सरकारी कर्मचारी–

(i) अध्ययन अवकाश का लाभ लेने के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर वापिस आने के बाद अनुबद्ध अवधि में सेवा से इस्तीफा देता है या सेवानिवृत्ति लेता है अन्यथा सेवा छोड़ता है; या

(ii) अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल रहता है,

तो वह राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ते, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चो की दुगनी राशि, तथा अन्य अभिकरणों, यदि कोई हो, जैसे कि विदेशी सरकार, संस्था, न्यास, इत्यादि द्वारा अध्ययन पाठयक्रम के सम्बन्ध में, द्वारा उपगत लागत की वास्तविक राशि से दुगनी राशि, उसका त्याग पत्र स्वीकृत होने या सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करने से पूर्व वापस करने के लिए दायी होगा :

परन्तु ऐसे कर्मचारी के मामले के सिवाए जो अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल हो गया है, तो इस नियम की कोई भी बात ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो अध्ययन अवकाश से ड्यूटी पर लौटने के बाद–

(क) चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए अनुमत किया गया है; या

(ख) सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी संगठन में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है तथा बाद में लोक हित में कथित संगठन में उसके स्थाई समावेशन की दृष्टि से हरियाणा सरकार के अधीन सेवा से त्याग पत्र देने के लिए अनुमत किया गया है।

(2) (क) परिवर्तित अवकाश सहित निरन्तरता में लिए गए अध्ययन अवकाश के प्रारम्भ की तिथि को खाते में जमा उपलब्ध अवकाश की देय किस्म, यदि कोई हो, में परिवर्तित किया जाएगा।

(ख) किसी देय किस्म के अवकाश में परिवर्तित अवकाश, यदि कोई हो, सहित अध्ययन अवकाश के परिवर्तन पर अनुज्ञेय अवकाश वेतन से अधिक, वास्तव में प्राप्त अवकाश वेतन की कोई अधिक राशि उप नियम (1) के अधीन वापस की जाने वाली राशि के अतिरिक्त वापस की जानी अपेक्षित होगी।

पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता, अवकाश तथा वेतनवृद्धि के लिए अध्ययन अवकाश की गणना करना।

64. (1) अध्ययन अवकाश को पदोन्नति, पेंशन तथा वरिष्ठता के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा। इसे वेतन वृद्धि के लिए भी गिना जाएगा।

(2) अध्ययन अवकाश पर बिताई गई अवधि इन नियमों के अधीन अर्ध–वेतन अवकाश से भिन्न अर्जित अवकाश के लिए नहीं गिनी जाएगी।

टिप्पण.–अध्ययन अवकाश को अर्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश के रूप में समझा जाएगा तथा उस द्वारा अनुज्ञेय अधिकतम अवधि के बाद लिए गए अर्धवेतन अवकाश को अर्ध–वेतन पर अवकाश की कुल मात्रा की गणना में नहीं लिया जाएगा।

———————

अध्याय–XII

अवकाश भुनाना

सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि को अवकाश भुनाना।

65. (1) सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्तिपूर्व अवकाश के अतिरिक्त, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक या अधिक में, अधिकतम 300 दिन के अध्यधीन सेवा निवृत्ति या सेवा छोड़ने की तिथि को उसके जमा में उपलब्ध अनप्रयुक्त अर्जित अवकाश को अवकाश भुनाने के लाभ के लिए हकदार हैः–

(1) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति;

(2) दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति;

(3) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति;

(4) समय पूर्व सेवा निवृत्ति;

(5) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के परामर्श पर विवेचित निशक्तता के आधार पर सेवानिवृत्ति;

(6) विहित वेतन ढांचे में सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन की सेवा की अवधि की समाप्ति पर;

(7) छंटनी या पद के समापन के कारण सेवा समाप्ति, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी को हरियाणा सरकार के किसी विभाग में किसी रिक्ति के विरूद्ध समायोजित नहीं किया गया है;

(8) हरियाणा सरकार सहित किसी सरकार के अधीन संगठन में सरकारी कर्मचारी का समावेशन/समायोजन;

(9) हरियाणा से भिन्न किसी सरकार के अधीन विभाग में पश्चातवर्ती नियुक्ति;

(10) सेवा के दौरान मृत्यु या गायब होने पर, मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार को।

टिप्पण.–उपरोक्त कथित एक या अधिक अवसरों पर हरियाणा सरकार सहित किसी सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन से लिए गए अवकाश भुनाने का कुल लाभ 300 दिन से अनधिक या समय–समय पर विहित सीमा तक होगा।

(2) सेवा से त्याग–पत्र के मामले में, अवकाश भुनाना सरकारी कर्मचारी के जमा में अर्जित अवकाश की आधी सीमा या समय–समय पर विहित अधिकतम सीमा के आधे, जो भी कम हो, तक प्रतिबन्धित होगा।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या गायब होने के मामले में अवकाश भुनाना।

66. (1) सेवा के समय या सेवानिवृत्ति के बाद या ड्यूटी की अन्तिम समाप्ति के बाद किन्तु इन नियमों के अधीन भुगतान योग्य अवकाश भुनाने की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की घटना की स्थिति में ऐसी राशि परिवार को भुगतान योग्य होगी।

(2) सेवा के समय गायब होने के मामले में, जिसका पता ठिकाना मालूम नहीं हैं, अवकाश भुनाने का लाभ सरकारी कर्मचारी के गायब होने के बारे में परिवार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने की तिथि से छः मास के बाद लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को भी अनुज्ञेय होगा।

अवकाश भुनाने की गणना।

67. (1) यदि वेतन (वास्तविक या अप्रयोग मूलक) तथा/या मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत की गई है तथा सम्बन्धित कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने की तिथि को उसके लिए पात्र था, तो पहले भुगतान किए गए अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ते की नई दरों तथा/या पुनः निर्धारित वेतन के अनुसार अनुज्ञेय अवकाश वेतन के अन्तर का, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि, वेतन तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में आदेशों को जारी करने की तिथि से पहले ही एक मुश्त निपटान कर दिया गया था, भुगतान किया जा सकता है।

(2) सरकारी देयों, जैसे कि वेतन तथा भत्तों, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ऋण तथा अग्रिम इत्यादि के अधिक भुगतान के कारण सरकारी कर्मचारी से वसूलीयोग्य बनी कोई राशि अवकाश भुनाने की राशि से वसूल की जा सकती है।

अवकाश भुनाना जो अनुज्ञेय नहीं है।

68. सरकारी सेवा से पदच्युत या हटाया गया सरकारी कर्मचारी अवकाश भुनाने के लिए हकदार नहीं होगा।

अवकाश भुनाने को रोकना।

69. अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो निलम्बनाधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या जिसके विरूद्ध सेवा निवृत्ति या सेवा छोड़ने के समय पर कोई अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लम्बित है, यदि उस प्राधिकारी के विचार में उसके विरूद्ध कार्यवाही की समाप्ति पर उससे वसूली योग्य कुछ राशि बनने की सम्भावना है, अप्रयुक्त अर्जित अवकाश

के बदले में अवकाश वेतन के समकक्ष नकद का पूरा या के भाग को रोक सकता है। कार्यवाही की समाप्ति पर वह सरकारी देयों, यदि कोई हों, के समायोजन के बाद इस प्रकार रोकी गई राशि के लिए पात्र बन जाएगा। ऐसे मामलों में जहां गम्भीर कदाचार के कारण अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्ण पेंशन समाप्ति की संभावना है वहां अवकाश भुनाने का कोई भुगतान अन्तिम निर्णय होने तक देय नहीं होगा।

अवकाश भुनाने की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी।

70. (1) अवकाश भुनाने की स्वीकृति ग्रुप क तथा ख के कर्मचारियों के लिए विभागाध्यक्ष तथा ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) स्वीकृति आदेश, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व जारी किया जाएगा किन्तु उसके बदले में भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन जारी किया जाएगा। अग्रिम में स्वीकृति आदेश केवल बिल की तैयारी तथा खजाने से उसके समाशोधन को सुसाध्य बनाने के लिए होगा।

टिप्पण.—जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाही सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने के समय पर लम्बित है तो अवकाश भुनाने की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी ग्रुप क तथा ख के कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विभाग तथा ग्रुप ग तथा घ कर्मचारियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

———————

अध्याय–XIII
विविध

सेवानिवृत्ति तथा सेवा में विस्तार के बाद पुनः नियोजन की अवधि के दौरान अवकाश।

71. विहित वेतन ढांचे में या नियत वेतन में किसी पद पर सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर अवकाश की हकदारी (आकस्मिक अवकाश सहित) नए प्रवेशक को यथा लागू दर पर होगी। तथापि, विस्तार की अवधि के दौरान, विस्तार से पूर्व लागू अवकाश की हकदारी की दर जारी रहेगी।

परिवीक्षार्थियों को अवकाश।

72. इन नियमों या किसी अन्य नियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियमित आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अवकाश का हकदार है। यदि किसी कारण से परिवीक्षार्थी की सेवाएं समाप्त करना प्रस्तावित किया गया है, तो कोई अवकाश जो उसको प्रदान किया जा सकता है, उस तिथि से आगे जिसको मूल परिवीक्षा अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्त होती है, या कोई पूर्व तिथि जिसको उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा समाप्त की जानी हैं से आगे नहीं बढाया जाएगा।

टिप्पण.–परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा अवधि के दौरान उपयोग किए गए अवकाश की अवधि तक विस्तारित की जाएगी।

महाधिवक्ता को अवकाश।

73. महाधिवक्ता, हरियाणा को अवकाश निम्न अनुसार अनुज्ञेय होगाः–

(क) महाधिवक्ता के रूप में ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के 1/12 की दर से पूर्ण वेतन तथा भत्तों पर अवकाश।

(ख) एक वर्ष में 20 दिन की दर से अर्धवेतन पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश।

(ग) किसी एक समय पर, अधिकतम चार मास के अध्यधीन किसी पारिश्रमिक के बिना असाधारण अवकाश।

(घ) विभिन्न किस्म के अवकाश एक समय पर अधिकतम केवल छः मास तक के संयोजन में प्रदान किए जा सकते हैं।

(ड.) नियुक्ति के प्रथम दो वर्ष के लिए, महाधिवक्ता, किसी एक वर्ष में चिकित्सा प्रमाण–पत्र के सिवाए, एक मास के अवकाश से अधिक के लिए हकदार नहीं होगा।

(च) प्रति कलैण्डर वर्ष 20 दिन की दर से आकस्मिक अवकाश।

(छ) अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग होगा।

अध्याय–XIV

आकस्मिक अवकाश

आकस्मिक अवकाश प्रदान करना।

74. आकस्मिक अवकाश, लघु अवधि के लिए ड्यूटी से अप्रत्याशित तथा अवसरिक प्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रदान किया जाता है। आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश नहीं है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित के रूप में नहीं समझा जाता हैं तथा उसका वेतन नहीं रोका जाता है। यह अर्धवेतन पर या वेतन के बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

स्वीकृति प्राधिकारी।

75. सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश नीचे गए दिए सशक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता हैः–

कार्यालयाध्यक्ष	उसके नियन्त्रणाधीन कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियां, तथापि, उसका स्वयं का आकस्मिक अवकाश अगामी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
निम्नलिखित के अधीन प्रभारी अधिकारी– मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्ष।	उसके अधीन सेवारत कर्मचारियों के लिए एक समय पर चार दिन तक, तथापि, उसका स्वयं का आकस्मिक अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण.– कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में उसके अधीन कार्यरत किसी राजपत्रित अधिकारी को शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन कर सकता है।

प्रथम कलैन्डर वर्ष तथा उसके बाद आकस्मिक अवकाश।

76. (1) कलैण्डर वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश, जिसमें वह भर्ती किया गया है, निम्नानुसार अनुज्ञेय होगाः–

	यदि सेवा ग्रहण की गई है	पुरुष	महिला
1	30 जून से पूर्व	10	20
2	30 जून तथा 30 सितम्बर के बीच	5	10
3	30 सितम्बर के बाद	2	5
4	30 नवम्बर के बाद	1	2

(2) सेवानिवृत्ति या अन्यथा के रूप में सेवा छोड़ने के अन्तिम वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश नीचे दिए गए अनुसार अनुज्ञेय होगाः–

यदि सेवा छोड़ी गई है	आकस्मिक अवकाश की दर
प्रथम जुलाई से पूर्व	उस कलैण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश का आधा
प्रथम जुलाई को या बाद में	उस कलैण्डर वर्ष में पूर्ण आकस्मिक अवकाश

(3) सेवा के प्रथम और अन्तिम कलैण्डर वर्ष को छोड़ कर बाकी के कलैण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश निम्नानुसार अनुज्ञेय होगाः–

	एक कलैण्डर वर्ष के दौरान	पुरुष	महिला
1	10 वर्ष तक की सेवा के दौरान	10 दिन	20 दिन
2	10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा के दौरान	15 दिन	
3	20 वर्ष की सेवा के बाद	20 दिन	

टिप्पण.– जिस वर्ष सरकारी कर्मचारी 10 या 20 वर्ष की सेवा पूरी करता है उस कलैण्डर वर्ष से वह बढ़ी हुई दर से आकस्मिक अवकाश का पात्र होगा ।

आकस्मिक अवकाश के लेखे।

77. आकस्मिक अवकाश लेखा इन नियमों के साथ सलग्न विहित प्ररूप जो अनुबन्ध–2 पर है में प्रथम जनवरी से 31 दिसम्बर तक वार्षिक रूप से रखा जाएगा। सभी आकस्मिक अवकाश लेखे 31 दिसम्बर को बन्द कर दिए जाएंगे तथा नए लेखे प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी को इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना खोले जाएंगे कि दिसम्बर के अन्तिम कुछ दिन, तथा जनवरी के प्रथम कुछ दिन आकस्मिक अवकाश के दौर में शामिल हैं। इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी 30 दिसम्बर, 2016 से 7 जनवरी, 2017 तक अवकाश लेता है, तो 30 तथा 31 दिसम्बर तक की अवधि को वर्ष 2016 के उसके आकस्मिक अवकाश खाते में विकलित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी से 7 जनवरी, 2017 (छुट्टियों के सिवाए) तक की अवधि को वर्ष 2017 के अवकाश लेखे में विकलित किया जाएगा।

78. लघु आकस्मिक अवकाश तथा देरी से उपस्थिति को आकस्मिक अवकाश लेखे में नीचे दिए गए अनुसार विकलित समझा जाएगाः— लघु आकस्मिक अवकाश तथा देरी से उपस्थिति।

लघु आकस्मिक अवकाश	
2 घण्टे तक	1/3 दिन का आकस्मिक अवकाश
4 घण्टे तक	1/2 दिन का आकस्मिक अवकाश
देरी से उपस्थिति—	
2 घण्टे तक	1/3 दिन का आकस्मिक अवकाश
4 घण्टे तक	आधे दिन का आकस्मिक अवकाश
4 घण्टे के बाद	पूर्ण दिन का आकस्मिक अवकाश

टिप्पण.—यदि कलैण्डर वर्ष की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी को कोई भी आकस्मिक अवकाश देय नहीं है, तो उपरोक्त कथित लघु आकस्मिक अवकाश तथा देरी से उपस्थिति की अवधि को अर्जित अवकाश लेखे में से घटाया जाएगा।

79. नियम 76 के अध्याधीन अनुज्ञेय सीमा के भीतर आकस्मिक अवकाश लेने के लिए, सरकारी कर्मचारी, अधिकतम 16 दिन के लिए ड्यूटी से निरन्तर अनुपस्थित रह सकता है। इस दौर में वह छुट्टियाँ शामिल करने के लिए अनुमत होगा, जो आकस्मिक अवकाश लेखे में विकलित नहीं होंगी। तथापि, किसी भी मामले में, कुल दौर 16 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां सरकारी कर्मचारी ऐसा दौर लेना चाहता है, तो सामान्यतः अनुमति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए यद्यपि सक्षम प्राधिकारी निःसन्देह प्रशासकीय सुविधा के लिए दौर की तिथियों को समायोजित कर सकता है। आकस्मिक अवकाश अन्य नियमित अवकाश के साथ संयोजित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा तथा अवकाश का संयोजन।

———————

अध्याय–XV

संगरोध अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश

संगरोध अवकाश प्रदान करना।

80. संगरोध अवकाश संक्रामक रोग से सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के पीड़ित होने के परिणामस्वरूप कार्यालय में हाजिर न होने के लिए, आदेशों द्वारा बाध्य ड्यूटी से अनुपस्थिति है। ऐसा अवकाश 21 दिन से अनधिक अवधि के लिए या अपवादिक परिस्थितियों में तीस दिन, जिसमें छुट्टियाँ शामिल हैं, के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाणपत्र पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस अवधि की अधिकता में संगरोध प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई अवकाश, देय किस्म के अवकाश में से घटाया जाएगा। जब आवश्यक हो, संगरोध अवकाश, किसी अन्य किस्म के अवकाश की निरन्तरता में भी प्रदान किया जा सकता है।

व्याख्या.– इस नियम में विहित इक्कीस तथा तीस दिन की अधिकतम सीमा प्रत्येक अवसर को निर्दिष्ट करती है।

टिप्पण.–हैजा, चेचक, प्लेग, डिफ्थिरिया, टाइफस तथा सेरीब्रोसपीनल तानिकाशोथ को नियम के प्रयोजन के लिए संक्रामक रोग के रूप में माना जा सकता है। छोटी माता के मामले में संगरोध अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक जिम्मेवार स्वास्थ्य अधिकारी नहीं मानता है कि रोग की सच्ची प्रकृति के सम्बन्ध में, सन्देह के कारण हैं, उदाहरण के लिए चेचक, यहां ऐसे अवकाश को प्रदान करने का कारण है। अन्य राज्यों के प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारी के मामले में, ऐसे अन्य रोग, जिसे उन सरकारों द्वारा उनके संगरोध अवकाश के प्रयोजन के लिए संक्रामक रोग के रूप में घोषित किया गया है, को भी इस नियम के प्रयोजन के लिए संक्रामक रोग के रूप में माना जा सकता है। तथापि, ऐसे सरकारी कर्मचारी उपरोक्त वर्णित किन्हीं रोगों के लिए संगरोध अवकाश के लिए पात्र होंगे, यद्यपि इसे संक्रामक रोग के रूप में सम्बन्धित अन्य राज्यों द्वारा जारी आदेशों में घोषित नहीं किया गया है।

खून दान देने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।

81. खूनदान के दिन के लिए एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होगा जो स्वैच्छिक रूप से खून दान करता है।

विशेष आकस्मिक अवकाश जब पागल जानवर द्वारा काटा गया है।

82. सरकारी कर्मचारी, जिसे पागल जानवर द्वारा काटा गया है, को केवल सरकारी अस्पताल/डिस्पेन्सरी के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से बैड रैस्ट के चिकित्सा प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति के अध्यधीन पागल–रोधी उपचार (एंटी रेबिड ट्रीटमैन्ट) के लिए 5 दिन तक का विशेष अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

अनुपयुक्त कार्यग्रहण समय के बदले में विशेष आकस्मिक अवकाश।

83. जहां सरकारी कर्मचारी, लोक हित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित किया गया है, को पूर्ण कार्यग्रहण समय का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, तो उपयोग न किए गए कार्यग्रहण समय की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जा सकता है तथा या तो उसे उस कलैण्डर वर्ष या यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है, तो आगामी कलैण्डर वर्ष में उस विशेष आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने के लिए अनुमत किया जा सकता है।

परिवार कल्याण प्रोग्राम अपनाने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।

84. (1) दो जीवित बच्चों से अनधिक वाले पुरूष सरकारी कर्मचारी को जिन्होंने प्रथम बार परिवार कल्याण प्रोग्राम के अधीन सरकारी अस्पताल में वैसक्टोमी ऑपरेशन करवाया है, छः कार्य दिवस से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान दिया जा सकता है। यदि वैसक्टोमी ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण दूसरी बार करवाया है, तो छः दिन से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश, सम्बन्धित चिकित्सा प्राधिकारी से इस प्रभाव के प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति पर कि दूसरा ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण किया गया था, पुनः प्रदान किया जा सकता है।

(2) दो जीवित बच्चों से अनधिक वाली महिला सरकारी कर्मचारी, जिसने सरकारी अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन, चाहे प्रासविक या अप्रासविक, करवाया है, को 14 कार्य दिवसों से अनधिक के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि नसबन्दी ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण दूसरी बार करवाया जाता है, तो 14 कार्य दिवसों से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश सम्बन्धित विहित चिकित्सा प्राधिकारी से इस प्रभाव के चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर कि दूसरा ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण किया गया था पुनः प्रदान किया जाएगा।

(3) दो जीवित बच्चों से अनधिक वाली महिला सरकारी कर्मचारी, जिसने गर्भ के चिकित्सा अवसान (एम टी पी) के बाद सलपाईन्जक्टोमी ऑपरेशन करवाया है, तो उसे 14 दिन से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(4) पुरूष सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी जिसने जीमिया बन्ध्यीकरण या प्रासविक बन्ध्यीकरण ऑपरेशन करवाया है, की देखभाल के लिए तीन दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार होगा।

टिप्पण.– परिवार कल्याण प्रोग्राम के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश अस्थाई आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को भी प्रदान किया जा सकता है।

खेल गतिविधियों में भागीदारी के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।

85. विशेष आकस्मिक अवकाश अन्तर राज्य तथा अर्न्तराष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं के लिए एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिन से अनधिक अवधि के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जैसे कि–

(1) अन्तर–राज्य/अर्न्तराष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं में भागीदारी;

(2) अन्तर–राज्य/अर्न्तराष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं में भाग लेने वाली टीमों के प्रशिक्षण/प्रबन्धन;

(3) अखिल भारतीय प्रशिक्षण या प्रशिक्षण स्कीमों के अधीन प्रशिक्षण या प्रशिक्षण कैम्पों में हाजिर होना;

(4) राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में प्रशिक्षण या प्रशिक्षण कैम्पों में हाजिर होना;

(5) पर्वतारोही अभियान में भाग लेना;

(6) अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों/खेल बोर्डों द्वारा आयोजित खेलों के प्रशिक्षण कैम्पों में हाजिर होना; तथा

(7) ट्रैकिंग अभियान में भाग लेना।

टिप्पण 1.– सरकारी कर्मचारियों, जो अन्तर–राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए चयनित किए गए हैं, को वास्तविक दिनों की अवधि जिसमें उन्होंने खेल स्पर्धाओं में भाग लिया है, ऐसी खेल प्रतियोगिता/मुकाबलों में इधर से उधर यात्रा में बिताए गए समय को भी ड्यूटी के रूप में माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पूर्व–भागीदारी प्रशिक्षण कैम्प उपरोक्त वर्णित स्पर्धाओं के सम्बन्ध में आयोजित किया गया है तथा सरकारी कर्मचारी को उसमें हाजिर होना अपेक्षित है, तो इस अवधि को भी ड्यूटी के रूप में माना जा सकता है।

टिप्पण 2.– उपरोक्त मद (3) से (7) में दर्शित प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञात एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिन से अनधिक अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की प्रमात्रा में अन्तर–राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल स्पर्धाओं से सम्बन्धित पूर्व–चयन परीक्षण/कैम्पों में उनका हाजिर होना भी शामिल होगा।

ड्यूटी के समय आतंकवादी हिंसा में घायल सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश।

86. सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर आतंकवादी हिंसा का शिकार होता है तथा घायल है, अस्पताल में ठीक होने के लिए तथा उसके बाद आराम के लिए उस द्वारा बिताई गई अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा कि:–

(i) सम्बन्धित कर्मचारी सक्षम सिविल प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह आतंकवादी कार्रवाई में घायल हुआ है;

(ii) अवकाश केवल चिकित्सा प्राधिकारी जो, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से नीचे की पदवी का न हो, की सिफारिश पर प्रथम तीन मास तक तथा उसके बाद चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर स्वीकृत किया जाएगा;

(iii) अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होगा जो अर्जित अवकाश के मामले में है;

(iv) कोई भी प्रतिस्थानी इस अवकाश की अवधि के दौरान नियुक्त नहीं किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त संघों की बैठकों/सम्मेलनों में हाजिर होने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।

87. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को उनके संघों की कार्यकारी बैठकों, सम्मेलनों तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम पांच दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जा सकता है।

———

अनुबन्ध–1

(देखिए नियम 22)

अवकाश के लिए या अवकाश के विस्तार के लिए आवेदन

1	नाम तथा पदनाम	
2	वेतनमान तथा वेतन	
3	विभाग (i) कार्यालय (ii) शाखा	
4	जन्म दिन तथा सेवानिवृति की तिथि	
5	अवकाश की किस्म	
6	लागू नियम	
7	आवेदित अवकाश या अवकाश के विस्तार की अवधि	
8	प्रस्तावित रविवार (रविवारों) तथा अवकाश (अवकाशों):– (i) प्रारम्भ में लगने वाले – (ii) बाद में लगने वाले –	
9	अवकाश/अवकाश के विस्तार का प्रयोजन	
10	पिछला लिया गया अवकाश (i) अवकाश की अवधि – (ii) अवकाश की किस्म –	
11	अवकाश अवधि के दौरान पता, सम्पर्क संख्या तथा ई–मेल आई डी	

आवेदक के हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

कार्यभारी अधिकारी की टिप्पणी तथा/या सिफारिश

कार्यभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(तिथि सहित)
पदनाम

कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (अवकाश की किस्म).....(अवधि) के लिए .....
..... से ..... तक नियम ..... के अधीन अनुज्ञेय है।

हस्ताक्षर (तिथि सहित)

पदनाम .....

अवकाश देने के लिए स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश

हस्ताक्षर (तिथि सहित)

पदनाम .....

———————

अनुबन्ध–2

(देखिए नियम 77)

आकस्मिक अवकाश लेखे का प्ररूप

कलैण्डर वर्ष ..... के लिए आकस्मिक अवकाश लेखा

कर्मचारी का नाम	
पदनाम	
कार्यग्रहण की तिथि	

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	दिनों की संख्या जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है	अवधि से तक	वर्ष के दौरान अनुज्ञेय आकस्मिक अवकाश	लिया गया आकस्मिक अवकाश	शेष	लिया गया प्रतिबन्धित अवकाश प्रतिपूर्ति अवकाश यदि कोई हो	शाखा प्रभारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुबन्ध–3

(देखिए नियम 62)

अध्ययन अवकाश के लिए बन्ध–पत्र

अध्ययन अवकाश नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश पर अग्रसर होने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए बन्ध–पत्र

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं ..... निवासी .... जिला ..... इस समय .....के रूप में ....के विभाग/कार्यालय में ..... नियोजित इसके द्वारा स्वयं तथा मेरे वारिसों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को हरियाणा के राज्यपाल (जिसे, इसमें, इसके, बाद "सरकार" कहा गया है) को रुपये .... (केवल ..... रुपये) की राशि की मांग पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चो, यदि कोई हो, की दुगनी राशि तथा अन्य अभिकरणों जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि द्वारा उपगत लागत की वास्तविक राशि की दुगनी राशि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में या, यदि भुगतान भारत से भिन्न किसी देश में किया गया है, अटार्नी तथा मुवक्किल के बीच सभी लागत तथा सभी प्रभारों तथा खर्चे जो सरकार द्वारा उपगत किए जाएंगे या किए जा सकते हैं के साथ–साथ उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में कथित राशि के समकक्ष का भुगतान करने के लिए बाध्य करता हूं ।

चूंकि मुझे..... सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है

और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए मैं ऐसी शर्तों सहित जो इसके नीचे लिखित है, यह बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त है कि अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर वापसी के बाद पांच वर्ष की अवधि में सेवा से इस्तीफा देने या सेवा से निवृत्ति लेने या अन्यथा सेवा छोड़ने या अध्ययन पाठयक्रम को पूरा करने में मेरी असफलता में, मैं रुपये..... (केवल .... रुपये) की कथित राशि का तुरन्त भुगतान राज्य सरकार को या सरकार द्वारा जैसा निर्देश दिया जाएगा मांग करने पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ताा, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चे, यदि कोई हों, की दुगुनी राशि, तथा अन्य अभिकरणों, जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में करूंगा।

तथा ऐसे भुगतान करने पर, उपरोक्त लिखित बाध्यताएं शून्य होंगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेंगी।

बन्धपत्र सभी प्रकार से तत्समय लागू भारत की विधियों द्वारा शासित होगा तथा इसके अधीन अधिकार तथा दायित्व, जहां आवश्यक हों, तदानुसार भारत के उचित न्यायालयों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

यह ..... दो हजार तथा ..... के ..... दिन को .....हस्ताक्षरित तथा दिनांकित किया गया।

द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित .....

की उपस्थिति में .....

गवाहः

(1) .....

(2) .....

स्वीकृत

हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से

_____

अनुबन्ध–4

(देखिए नियम 62)

दिए गए अध्ययन अवकाश के विस्तार के लिए स्थाई कर्मचारियों के लिए बन्ध–पत्र

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं ..... निवासी .... जिला ..... इस समय ..... के रूप में ....के विभाग/कार्यालय में ..... नियोजित इसके द्वारा स्वयं तथा मेरे वारिसों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को हरियाणा के राज्यपाल (जिसे, इसमें, इसके, बाद "सरकार" कहा गया है) को रुपये ..... (केवल ..... रुपये) की राशि की मांग पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चो, यदि कोई हो, की दुगनी राशि तथा अन्य अभिकरणों जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि द्वारा उपगत लागत की वास्तविक राशि की दुगनी राशि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में या, यदि भुगतान भारत से भिन्न किसी देश में किया गया है, अटार्नी तथा मुवक्किल के बीच सभी लागत तथा सभी प्रभारों तथा खर्चे जो सरकार द्वारा उपगत किए जाएंगे या किए जा सकते हैं के साथ–साथ उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में कथित राशि के समकक्ष का भुगतान करने के लिए बाध्य करता हूं।

चूंकि मुझे ..... सरकार द्वारा ..... से ..... तक की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया गया था जिसके प्रतिफल में मैंने एक बन्ध–पत्र, दिनांक .....रुपये ....(केवल रुपये.....) हरियाणा सरकार के पक्ष में निष्पादित किया है।

और चूंकि मुझे मेरे अनुरोध पर ..... तक अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान किया गया है।

और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए मैं ऐसी शर्तों सहित जो इसके नीचे लिखित है, यह बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त है कि इस प्रकार विस्तारित अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना ड्यूटी पुनः ग्रहण करने, या सेवा से इस्तीफा देने या अन्यथा सेवा छोड़ने में मेरी असफलता या अध्ययन पाठयक्रम को पूरा करने में या ड्यूटी पर मेरी वापसी के बाद पांच वर्ष की अवधि में किसी समय पर असफल होने की घटना में, मैं रुपये..... (केवल .... रुपये) की कथित राशि की मांग करने पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ताा, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चे, यदि कोई हों, की दुगुनी राशि, तथा अन्य अभिकरणों, जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में, द्वारा निदेशित किया जाए को तुरन्त भुगतान करूंगा ।

तथा ऐसे भुगतान करने पर, उपरोक्त लिखित बाध्यताएं शून्य होंगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेंगी।

बन्धपत्र सभी प्रकार से तत्समय लागू भारत की विधियों द्वारा शासित होगा तथा इसके अधीन अधिकार तथा दायित्व, जहां आवश्यक हों, तदानुसार भारत में उचित न्यायालयों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

यह ..... दो हजार तथा ..... के ..... दिन को हस्ताक्षरित तथा दिनांकित किया गया।

द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित .....

की उपस्थिति में .....

गवाहः

(1) .....

(2) .....

स्वीकृत

हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से

———————

अनुबन्ध–5

(देखिए नियम 62)

(अध्ययन अवकाश के नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश पर अग्रसर होने वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए बन्ध–पत्र)

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम, ... निवासी ..... जिला ..... इस समय .....के रूप में ..... के विभाग/कार्यालय में ..... नियोजित (जिसे, इसमें, इसके बाद, "बाध्यताकारी" कहा गया है) तथा श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री ..... का ..... तथा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री का .... (जिसे, इसमें, इसके बाद "जमानती" कहा गया है) इसके द्वारा अपने आपको तथा हमारे सम्बन्धित वारिसों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को हरियाणा के राज्यपाल (जिसे, इसमें, इसके, बाद "सरकार" कहा गया है) को रुपये ....(केवल .....रुपये) अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चो, यदि कोई हो, की दुगनी राशि तथा अन्य अभिकरणों जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि द्वारा उपगत लागत की वास्तविक राशि की दुगनी राशि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में या, यदि भुगतान भारत से भिन्न किसी देश में किया गया है, अटार्नी तथा मुवक्किल के बीच सभी लागत तथा सभी प्रभारों तथा खर्चे जो सरकार द्वारा उपगत किए जाएंगे या किए जा सकते हैं के साथ–साथ उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में कथित राशि के समकक्ष का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग बाध्य करते हैं।

चूंकि बाध्यताकारी को सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है।

और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए हम ऐसी शर्तों सहित जो इसके नीचे लिखित है, यह बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हैं।

और चूंकि कथित जमानती उपरोक्त बाध्याताकारी ..... की ओर से जमानती के रूप में यह बन्ध–पत्र निष्पादित करने के लिए सहमत है।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....की अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पुनः ग्रहण करने में उसकी असफलता या ड्यूटी पर वापिस आए बिना सेवा से इस्तीफा देने या अन्यथा सेवा छोड़ने में या अध्ययन पाठयक्रम को पूरा करने में असफलता या ड्यूटी पर वापसी के बाद अनुबद्ध अवधि में किसी समय ऐसी घटना में, रुपये..... (केवल ..... रुपये) की कथित राशि की मांग करने पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चे, यदि कोई हों, की दुगुनी राशि, तथा अन्य अभिकरणों, जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में, द्वारा निदेशित किया जाए, सरकार को तुरन्त के लिए बाध्य होंगे।

तथा ऐसे भुगतान करने पर, बाध्यताकारी श्री/श्रीमति/कुमारी..... तथा/या श्री/श्रीमति/कुमारी . .....उपरोक्त जमानती बाध्यताएं शून्य होंगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेंगी।

परन्तु सदा कि इसके अधीन जमानती का दायित्व सरकार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानती की सहमति या जानकारी सहित या के बिना) को दिए जा रहे समय के कारण से या किसी स्थगन, कार्य या चूक द्वारा कम या मुक्त नहीं होगी तथा न ही इसके अधीन देय राशि के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी जमानती ..... या उनमें से किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व उक्त बाध्यताकारी पर मुकदमा चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा।

बन्धपत्र सभी प्रकार से तत्समय लागू भारत की विधियों द्वारा शासित होगा तथा इसके अधीन अधिकार तथा दायित्व, जहां आवश्यक हों, तदानुसार भारत के उचित न्यायालयों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

यह ..... दो हजार तथा ..... के ..... दिन को हस्ताक्षरित तथा दिनांकित किया गया।

उपरोक्त नामित

1. श्री/श्रीमति/कुमारी .....
2. श्री/श्रीमति/कुमारी .....

बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित ..... की उपस्थिति में .....।

गवाहः

(1) .....

(2) .....

उपरोक्त नामित जमानती

(1) श्री/श्रीमति/कुमारी .....

(2) श्री/श्रीमति/कुमारी .....

द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित निम्नहस्ताक्षरी गवाहों की उपस्थिति में :–

गवाहः

(1) .....

(2) .....

स्वीकृत

हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से

_____

अनुबन्ध–6

(देखिए नियम 62)

(अध्ययन अवकाश के विस्तार के लिए अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के लिए बन्ध–पत्र)

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम, ... निवासी ..... जिला ..... इस समय ..... के रूप में ..... के विभाग/कार्यालय में ..... नियोजित (जिसे, इसमें, इसके बाद, "बाध्यताकारी" कहा गया है) तथा श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री का ..... का ..... तथा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री..... ..... का ..... (जिसे, इसमें, इसके बाद "जमानती" कहा गया है) इसके द्वारा अपने आपको तथा हमारे सम्बन्धित वारिसों, निष्पादकों तथा प्रशासकों को हरियाणा के राज्यपाल (जिसे, इसमें, इसके, बाद "सरकार" कहा गया है) को रुपये .....(केवल ....रुपये) की राशि की मांग पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चो, यदि कोई हो, की दुगनी राशि तथा अन्य अभिकरणों जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि द्वारा उपगत लागत की वास्तविक राशि की दुगनी राशि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में या, यदि भुगतान भारत से भिन्न किसी देश में किया गया है, अटार्नी तथा मुवक्किल के बीच सभी लागत तथा सभी प्रभारों तथा खर्चे जो सरकार द्वारा उपगत किए जाएंगे या किए जा सकते हैं के साथ–साथ उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में कथित राशि के समकक्ष का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग बाध्य, करते हैं।

चूंकि बाध्यताकारी को ..... सरकार द्वारा ..... से ..... तक की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया गया था जिसके प्रतिफल में उसने एक बन्ध–पत्र दिनांक ..... रुपये ..... (केवल ..... रुपये) हरियाणा सरकार के पक्ष में निष्वादित किया है।

और चूंकि अध्ययन अवकाश का विस्तार उसके अनुरोध पर..... तक बाध्यताकारी को दिया गया था।

और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए बाध्यताकारी ऐसी शर्तों सहित जो इसके नीचे लिखित है, यह बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है।

और चूंकि कथित जमानती उपरोक्त बाध्यताकारी ..... की ओर से जमानती के रूप में यह बन्ध–पत्र निष्पादित करने के लिए सहमत है।

अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....की अध्ययन अवकाश की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पुनः ग्रहण करने में उसकी असफलता या ड्यूटी पर वापिस आए बिना सेवा से इस्तीफा देने या अन्यथा सेवा छोड़ने में या अध्ययन पाठयक्रम को पूरा करने में असफलता या ड्यूटी पर वापसी के बाद अनुबद्ध अवधि में किसी समय ऐसी घटना में, रुपये..... (केवल .... रुपये) की कथित राशि की मांग करने पर अर्थात् राज्य सरकार द्वारा उपगत अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा तथा अन्य खर्चे, यदि कोई हों, की दुगुनी राशि, तथा अन्य अभिकरणों, जैसे कि विदेशी सरकारों, संस्थाओं, न्यासों इत्यादि, अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में, द्वारा निदेशित किया जाए, सरकार को तुरन्त के लिए बाध्य होंगे।

तथा ऐसे भुगतान करने पर, बाध्यताकारी श्री/श्रीमति/कुमारी..... तथा/या श्री/श्रीमति/कुमारी .....उपरोक्त जमानती बाध्यताएं शून्य होंगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा यह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेंगी।

परन्तु सदा कि इसके अधीन जमानती का दायित्व सरकार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानती की सहमति या जानकारी सहित या के बिना) को दिए जा रहे समय के कारण से या किसी स्थगन, कार्य या चूक द्वारा कम या मुक्त नहीं होगी तथा न ही इसके अधीन देय राशि के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी जमानती ..... या उनमें से किसी क विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व उक्त बाध्यताकारी पर मुकदमा चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा।

बन्धपत्र सभी प्रकार से तत्समय लागू भारत की विधियों द्वारा शासित होगा तथा इसके अधीन अधिकार तथा दायित्व, जहां आवश्यक हों, तदानुसार भारत के उचित न्यायालयों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

यह ..... दो हजार तथा ..... के ..... दिन को हस्ताक्षरित तथा दिनांकित किया गया।

उपरोक्त नामित

1. श्री/श्रीमति/कुमारी .....

2. श्री/श्रीमति/कुमारी .....बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित ..... की उपस्थिति में .....

गवाहः

(1) .....

(2) .....

उपरोक्त नामित ज़मानतीः

(1) श्री/श्रीमति/कुमारी .....

(2) श्री/श्रीमति/कुमारी .....

द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित निम्नहस्ताक्षरी गवाहों की उपस्थिति में :–

गवाहः

(1) .....

(2) .....

स्वीकृत

हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से

_____

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।